




---

---

राष्ट्र

---

---



---

मा.स. गोलवलकर "श्री गुरुजी"

# राष्ट्र

सम्पादक

भानुप्रताप शुक्ल

संकलन

डॉ. गौरीनाथ रस्तोगी

प्रकाशक

जानकी प्रकाशन

नई दिल्ली

प्रकाशन

रामदास पांडे

जानकी प्राकाशन

१२९-साउथ एवेन्यू

नई दिल्ली-११००११

वितरक :

भारतीय मजदूर संघ

“रामनरेश भवन”

तिलक गली, चूना मण्डी

पहाड़ गंज, नई दिल्ली-११००५५

वितरक:

कुली प्रकाशन

के.ए. केंद्र, जयपुर बाजार

नया दिल्ली-११००५५

द्वितीय संस्करण

मकर संक्रान्ति

पौ. शु. नवमी

वि. सं. २०४८

१४ जनवरी, १९९२

मूल्य : ८०/- रुपये


सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

मुद्रक :

सिया राम प्रिंटेर्स

१५६२, मेन बाजार पहाड़ गंज

नई दिल्ली-११००५५



राष्ट्राय स्वाहा । इदं राष्ट्राय इदं न मम्


वंदनीय " ताई जी "

(श्री गुरु जी की माता श्री )

के

श्री चरणों में समर्पित

" न मातुः परदैवतम् । "



## प्रस्तुति

समर्पण	९
पुण्याहवाचन	१५
१. हमारी मातृभूमि	१०५
२. राष्ट्रीय आत्मा की पुकार	११३
३. हिन्दू की परिभाषा	१२३
४. वीरव्रती निष्ठा	१३५
५. हिन्दू क्यों ?	१४१
६. राष्ट्र : एक भावात्मक बोध	१६३
७. हिन्दू राष्ट्र की ध्रुवधारणा	१७५
८. भारत का राष्ट्रीय जीवन	१८३
९. जगज्जननी का साकार रूप	१८९
१०. मातृभूमि की अर्चना	१९५
११. हमारी श्रद्धा का केन्द्र : मातृभूमि	२०१
१२. मातृत्व के त्रिविध रूप	२०७
१३. हिन्दुत्व का गौरवास्पद स्वरूप	२११
१४. हिन्दुपन का स्वाभिमान आवश्यक	२२३
१५. इतिहास-बोध	२३३

१६.	राष्ट्रीय का अर्थ-बोध	२३९
१७.	भारतीय राष्ट्र, हिन्दूराष्ट्र	२४३
१८.	विशुद्ध राष्ट्रभक्ति के जागरण का पुनीत कार्य	२४९
१९.	पूर्व पाकिस्तान अल्पसंख्यक सम्मेलन	२५५
२०.	एकराष्ट्र, एकजन	२५७
२१.	हिन्दूराष्ट्र का जीवनोद्देश्य	२५९
२२.	तिलक जी की हिन्दू राष्ट्रदृष्टि	२६७
२३.	हिन्दू होना एक भूषण है	२७१
२४.	राष्ट्रीयजन, राष्ट्रद्रोही और शत्रु	२७५
२५.	हिन्दुस्थान हिन्दुओं का	२७७
२६.	राष्ट्रीय एकात्मता का सूत्र	२८३
२७.	राष्ट्रीयता की कसौटी	२९१
२८.	अल्पसंख्यकों की समस्या	२९३
२९.	हिन्दूराष्ट्र और सेक्युलेरिज्म	२९९
३०.	हिन्दूराष्ट्र और मुसलमान	३०१
३१.	भारतीयकरण का औचित्य	३०७
३३.	हिन्दू-मुस्लिम सामञ्जस्य की आधार भूमि	३०९
३३.	क्या है हिन्दू ?	३१९
३४.	परिशिष्ट-१	३२६
३५.	परिशिष्ट-२	३२९









विभिन्न समस्याओं के विषय में कुछ चर्चा की ।..... वे अत्यन्त नम्रता के प्रतीक थे । मैं आयु में उनसे छोटा था । एक ज्येष्ठ भ्राता से जो स्नेह मिल सकता है, मेरे प्रति उनका व्यवहार उससे भी अधिक स्नेहपूर्ण था ।

गाड़ी चल पड़ी । धीरे-धीरे बाहर का अंधकार बढ़ने लगा था । बात बन्द हो गई थी । कुछ समय बाद अपने ब्रीफ केस से एक पत्रिका निकालकर मैं पढ़ने लगा । मैंने देखा श्री गुरुजी भी एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगे थे ।..... यह मेरे और भी आश्चर्य चकित होने का समय था । सनातनधर्म के उग्र ध्वजाधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान पुरुष के संबंध में मेरी धारणा थी कि वे कोई धार्मिक पुस्तक या हिन्दू दर्शन के विषय में कोई जटिल ग्रंथ पढ़ रहे होंगे । किन्तु मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उनके हाथ की पुस्तक अमरीका के हेनरी मिलर का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास था ।


..... बस ! शेष स्वयं समझ लें । सत्य छिपाने से क्या लाभ ? उस समय श्री गुरु जी के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई ।”

डा. अशोक मित्र का अनुभव श्रीगुरु जी के विचार और व्यक्तित्व का स्वयं में एक स्पष्ट आलेख है । इस विषय पर किसी प्रकार की टिप्पणी या इसका भाष्य करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

अतएव यदि यह कहूं कि श्री गुरुजी का जीवन-सत्य भारत-भूमि पर हिन्दू राष्ट्र का ही सत्य है या हिन्दू राष्ट्र का इतिहास सत्य ही श्री गुरुजी के विचारों और आचरण में अभिव्यक्त हुआ है, तो यह किसी भी मापदण्ड से अत्युक्ति नहीं होगा ।

यह संकलन हिन्दू-राष्ट्र के उपासकों और समर्थकों सहित इसके विरोधियों और इसके प्रति विपरीत धारणा रखने वालों को भी अतीत श्रद्धापूर्वक समर्पित है । इस अपेक्षा के साथ कि वे सभी इसे अपनाएं और केवल राष्ट्र के ही नहीं, हिन्दू राष्ट्र के सत्य को भी समझने का प्रमाणिक प्रयास करेंगे ।

एक निवेदन और । श्री गुरुजी के शब्द-शब्द मंत्र सदृश्य हैं, प्रेरक उर्जा हैं । उनके शब्दों के अभिव्यक्त-रूप को स्वाभाविक लय में यथावत रखा गया है । विभिन्न प्रसंगों में विषय प्रतिपादन के उद्देश्य से कुछ पुनरावृत्तियां मिल सकती हैं । पाठक मानकीय भाषा के स्थान पर उसकी मौलिकता का रस लेंगे । श्री दत्तोपंत ठेंगडी लिखित पुण्याहवाचन की भाषिक स्वाभाविकता के लिए भी संपादन की यही दृष्टि रखी गई है ।



दुर्गा अष्टमी

संवत् २०४८

१६ अक्टूबर, १९९१

नई दिल्ली



---

## पुण्याहवाचन

भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः  
तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे ।  
ततो राष्ट्रं बलं ओजश्च जातम् ।  
तदस्मै देवा उपसं नमन्तु ॥ (अथर्व. १९/४१/१)

“आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में जो दीक्षा लेकर तप किया, उससे राष्ट्रनिर्माण हुआ, राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ । इसलिए सब विबुध इस राष्ट्र के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें ।”

यह संकलन है,  
परमपूजनीय श्री गुरुजी के विचारों का ।  
वर्ण्य विषय है “राष्ट्र-संकल्पना” ।  
“वाचम् अर्थोऽनुधावति” जिनका यह अधिकार ।  
उनकी जीवन साधना का अधिष्ठान यह वर्ण्य विषय ।  
इस संकलन पर भाष्य करने का प्रयास  
अर्थात् धृष्टता की, अहंकार की परिसीमा ।  
वह यहां अभिप्रेत नहीं है ।  
किन्तु  
इन विचारों का अध्ययन  
किन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में  
हम करने जा रहे हैं  
यह जान लेने की आवश्यकता है ।  
उसी का यह संक्षिप्त विवरण है ।  
यही है पुण्याहवाचन ।

















प्राकृतिक अनेकता से मानसिक एकता की ओर बढ़ने का प्रयास जिस बिन्दु पर सफलतापूर्वक समाप्त होता है, उसी बिन्दु से राष्ट्रियता (Nationhood) का प्रारंभ होता है ।

इस दृष्टि से विचार किया जाए तो यह शोध और अन्वेषण का विषय है कि कितने पाश्चिमात्य समाजों में यह प्रयास सफलता तक पहुंचा है ।

उदाहरणार्थ कनाडा की बात लीजिए । युनाइटेड नेशन्स में कनाडा भी नेशन माना गया है । किन्तु क्या वहां इस प्रकार की मानसिक एकता निर्माण हुई है ? क्या यह सही नहीं है कि किसी अच्छे परिवार या समाज में भी व्यक्तिगत स्वार्थ या बाहर के भड़काने वाले लोगों की दुष्प्रेरणा के कारण झगड़े खड़े हो सकते हैं । परन्तु परिवार या समाज में मूलभूत एकात्मता रहे तो फूट के ऐसे सभी प्रयासों को मात देने की क्षमता उसमें विद्यमान रहती है । तात्कालिक, स्वार्थजन्य या बाहरी दुष्प्रेरणा के फलस्वरूप निर्माण हुए भेद ऊपर की बात है । मूलभूत एकात्मता सभी विषम स्थितियों को हजम कर लेती है । क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कनाडा का प्रवास इस मूलभूत एकात्मता के लक्ष्य की ओर पूर्ण हुआ है ? क्या विवेक केन्द्रित फ्रांसीसी मूल के लोगों का समूह शेष कनाडा के एंग्लो सेक्सन (Anglo saxon) लोगों की संस्कृति या राष्ट्रियता (Nationalism) के साथ एकात्म हो गया है ? जनरल द गॉल के कनाडा प्रवास के समय जो दृश्य वहां उपस्थित हुए उसके कारण कनाडा की एकात्मता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ।

युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की अवस्था और भी शोचनीय है । समृद्ध परिवार के साथ अपना रिश्ता बताना प्रतिष्ठा का लक्षण माना जाता है । किन्तु परिवार की समृद्धि नष्ट होने के बाद कितने लोग उस परिवार के लोगों को अपना रिश्तेदार बताएंगे, यह संदेह की बात हो जाती है । आज अमेरिका समृद्ध है । किन्तु क्या अमेरिका वासियों में मूलभूत एकात्मता निर्माण हुई है ? मूलतः एंग्लोसेक्सन (Anglo-saxon) संस्कृति वाले लोग प्रभावशाली हैं । फिर भी बाहर के विभिन्न देशों और विभिन्न मूल वंशों के जो लोग अमेरिका में जाकर बसे उनको एकात्म करना प्रारंभ से ही कठिन प्रतीत होने लगा ।

प्रारंभ में बाहर के सभी लोगों के लिए मुक्त द्वार रखने की नीति उदारता की परिचायक मानी गयी । किन्तु अनुभव के आधार पर बाहर से आने वाले हर देश या वंश के लोगों की संख्या पर नियंत्रण लगाना आवश्यक प्रतीत होने लगा । प्रथम महायुद्ध के समय युनाइटेड स्टेट्स के जर्मन मूल के लोगों ने युद्धरत जर्मनी के साथ खुली सहानुभूति प्रकट की और युनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत स्वायत्त जर्मन राज्य की मांग की । अमेरिका के महायुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कूदने के पूर्व से ही जर्मन लोगों के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुई थी । इस अनुभव के आधार पर प्रथम महायुद्ध के पश्चात् नेताओं ने Anglo Saxon Acculturation कार्यक्रम जोरों से चलाया । उसके विरोध में प्रतिक्रिया होने के पश्चात् यह प्रयास शिथिल किया गया । किन्तु अभी भी विभिन्न मूल-वंशीय लोगों को आत्मसात् करने का प्रयोग वहां सफल नहीं हुआ है । इस शताब्दी के सातवें और आठवें दशक में इसी दृष्टि से अमेरिका में मिश्रित बस्तियों के निर्माण का एक नया प्रयोग

















































































यूरोपीय व्यापारियों से पूर्व अनेक आक्रांताओं ने चीन की मुख्य भूमि पर सैनिक विजय प्राप्त की थी। परन्तु कुछ समय पश्चात् लगभग सभी विदेशी चीनी दर्शन व रीतिरिवाज से प्रभावित होकर चीनी समाज का अंग बन गए। इसका कारण यह था कि विदेशी आक्रांता यद्यपि सैनिकी दृष्टि से चीनियों से अधिक श्रेष्ठ थे, किन्तु सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से उनकी कोई मान्यताएं नहीं थी। अतः चीनी समाज ने उनको आत्मसात कर लिया। इसके विपरीत आधुनिक काल में चीन में प्रवेश करने वाले विदेशी व्यापारियों और मिशनरियों में श्रेष्ठता की भावना थी। १८वीं तथा १९वीं शताब्दी में पूर्वी देशों में यूरोप के प्रमुख हित आर्थिक थे। इस कारण उन्होंने आर्थिक साम्राज्यवाद का विस्तार किया। चीनी सरकार की आर्थिक मजबूरी सैन्य-दुर्बलता तथा प्रशासनिक अक्षमता के कारण ही चीन में यूरोपीय आर्थिक साम्राज्यवाद सफल हो सका।

पंद्रहवीं शताब्दी के पूर्व चीन का पाश्चात्य जगत से सम्पर्क अरब व्यापारियों के माध्यम से था। सन् १४१४ में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी एलवरेज (Alvarez) का चीन में पदापर्ण, सन् १४१६ में पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्य भूमि पर प्रवेश, १६वीं शताब्दी के मध्य में स्पेनिश व्यापारियों, और सन् १६३७ में डच तथा इंग्लिश व्यापारियों का चीन में प्रवेश, और सन् १६८९ में रूस के साथ सीमाओं तथा व्यापारी संबंधों के विषय में की हुई नर्टचिन्सक संधि यूरोपीय चंचुप्रवेश का क्रम रहा।

विदेशी व्यापारियों द्वारा किया गया आर्थिक शोषण तथा उनके और ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला राजनीतिक हस्तक्षेप सहन कर पाना चीनी समाज के अतिथि सेवी होते हुए भी असंभव हो गया। उसमें से ही आगे आने वाली घटनाओं का सूत्रपात हुआ।

सन् १८३९-४२ का आंग्ल-चीनी "अफीम युद्ध", सन् १८४३ की बोग की "सर्वाधिक प्रिय देश" (इंग्लैंड वाली) संधि, तत्पश्चात् अमेरिका, फ्रांस, नार्वे और स्वीडन के साथ हुई व्यापारिक संधियां, केन्टन आदि बन्दरगाहों पर विदेशियों की स्वायत्त बस्तियों का निर्माण, चीनी राष्ट्र भक्तों का मंचूवंश के विरुद्ध १८५१ का "ताईपिंग विद्रोह", द्वितीय अफीम युद्ध १८५७, सन् १८६० में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस के साथ हुआ पीकिंग समझौता, फलस्वरूप १८६४ में विदेशियों के विरोध में जनक्षोभ, ताईपिंग विद्रोह की समाप्ति, १८६०-१९११ तक चीन में यूरोपीय तथा जापानी साम्राज्यवाद का प्रसार, १८९४ में कोरिया के प्रश्न पर चीन-जापान युद्ध, १८९५ शिमोनोसे की अपमानजनक संधि, १९७८ में "शतदिवसीय" सुधार, १८९९ में ईसाई मिशनरियों के विरोध में "बॉक्सर विद्रोह", १९०१ में जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान की संयुक्त सेनाओं का पेकिंग प्रवेश तथा "बॉक्सर विद्रोह का अंत, १९०४ में रूस का मांचूरिया में विस्तारवाद तथा रूस और जापान की कोरिया में दखलन्दाजी और चीन की भूमि पर रूस-जापान युद्ध, ४ सितम्बर १९०४ को पोर्टसमाउथ की संधि और चीन का घोर राष्ट्रीय अपमान की घटनाएं हुई। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, केन्द्र की जनता विरोधी रेल नीति,

रामाचार पत्रों के माध्यम का प्रभाव आदि सब बातों की संकलित परिणति हुई । डॉ. सन्यत्-सेन के नेतृत्व में १९११ की सफल राष्ट्रीय राज्य क्रांति । दिनांक १.१.१९१२ को डॉ. सन्-यत्-सेन ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला । दिनांक १२.२.१९१२ को युआन-शी-काई को देश की बागडोर सौंपकर डॉ. सन्-यत्-सेन ने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया ।

चीनी समाज में समूहगत अस्मिता का उदय प्राचीन काल में ही हुआ था । किन्तु बाद में शताब्दियों तक कन्फ्यूशियस या लाओत्से की तरह के नैतिक नेतृत्व का अभाव रहा । शासक अपने ही काल्पनिक स्वर्ग में रमते रहे । सैन्य दुर्बलता, प्रशासनिक अक्षमता तथा आर्थिक विचार दर्शन का अभाव, नेताओं की स्वकेन्द्रित विलासप्रियता, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, विदेशियों के आगमन का स्वरूप समझने में शासकों की अक्षमता, सामान्यजन की उदासीनता, राष्ट्रीयता के जागरण का गिने-चुने क्षेत्रों और शिक्षित लोगों के बीच ही सीमित प्रभाव और विशेष रूप से डॉ. सन्-यत्-सेन जैसे विश्वसनीय राष्ट्रीय नेता का अभाव आदि बातों का चीन के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर प्रभाव पड़ा ।

चीन की समूहगत अस्मिता प्राचीन तो है, किन्तु उसकी प्रकृति और भारतीय अस्मिता की प्रकृति एक जैसी नहीं है । एक श्रेष्ठ विचारक श्री अशोक मेहता का अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष है कि भारत के व्यक्तित्व का मूलाधार उसकी संस्कृति (Culture) है, चीन के व्यक्तित्व का उसकी Imperial State (सामन्ती राज्य) संकल्पना है । दोनों समाजों के व्यक्तित्व (Personality) में यह अंतर है । इसके परिणामस्वरूप दोनों समाजों की राष्ट्रीयता की प्रकृति में भी अंतर है । जिसका प्रभाव दोनों समाजों के ऐतिहासिक विकास-क्रमों पर भी दिखाई देता है ।

### मध्यपूर्व

हिमालय रेखा से आर्कटिक तक का भूभाग- World Island का Heart land है । इस मूल मान्यता के साथ-साथ भूराजनीति की (Geopolitics) एक घोषणा ऐसी भी रही है कि "Who rules the Middle East commands the World Island, who rules the World Island commands the World."

इस कथन ने वहां के जागृत वर्गों को स्वाभाविक से अधिक महत्वाकांक्षी तथा स्वकेन्द्रित बना दिया ।

मध्यपूर्व को कुछ लोग पश्चिमी एशिया भी कह देते हैं । इस क्षेत्र में समाविष्ट देशों में इजरायल (जिसका उल्लेख अन्यत्र आया है) को छोड़कर शेष सभी देश इस्लामी हैं । साम्राज्यवाद के खिलाफ हुई प्रतिक्रिया में से तुर्की साम्राज्य के यूरोपीय क्षेत्र में सर्बिया, रूमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस आदि के नेशनलिज्म का उदय हुआ । साम्राज्य के एशियाई क्षेत्र में भी वही बात हुई ।

नेशनलिज्म के संदर्भ में यूरोप और पश्चिमी एशिया के इतिहास में कुछ समान बिन्दु दिखाई देते हैं । दोनों भूभागों में जनसमुदायों की समूहगत अस्मिताओं का उदय होने के बावजूद वे उभरकर नहीं आ सकीं । इसका कारण था उधर पोपसाहब का और इधर खलीफा “स्टीम रोलर” । जैसे ही ये स्टीम रोलर हट गए, बीजभूत अस्मिताएं अंकुरित होने लगीं । यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में भी समूहगत अस्मिताओं को बढ़ावा देने वाली मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप एक ही था— “साम्राज्यवाद के खिलाफ जनमानस में उभरती प्रतिक्रियाएं ।”

इन सामूहिक अस्मिताओं का प्रखर प्रकर्ष इधर फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद और उधर प्रथम महायुद्ध के पश्चात् नेशनलिज्म के रूप में दिखाई देने लगा । किन्तु ये नेत्रोंददीपक परिणाम इसी कारण हो सके कि उनकी पृष्ठभूमि क्रमशः फ्रांस की राज्यक्रांति और प्रथम महायुद्ध के पूर्व विभिन्न भूभागों में हुई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण पहले से ही बनती आ रही थी ।

हम यूरोपीय घटनाओं से परिचित हैं । पश्चिम एशिया की घटनाओं, जिनका सार संक्षेप में नीचे दिया गया है, के कारण ही विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्रीय जागरण संभव हुआ ।

आज जिसको राष्ट्र-राज्य (Nation-state) कहा जाता है उसके लिए इस्लाम में कोई स्थान नहीं है । इस्लाम के अनुसार पूरा संसार दो हिस्सों में बंटा हुआ है । दार-उल-इस्लाम (Dar-ul-Islam) और दार-उल-हर्ब (Dar-ul-Harb) । इस्लाम के बिल्कुल प्रारम्भिक कालखंड को छोड़ दिया तो दार-उल-इस्लाम की संकल्पना एक सिद्धांत (Theory) मात्र रही । सन् १२५८ में बगदाद के शासन के बाद तथा सोलहवीं शताब्दी में फारस (ईरान) द्वारा शियापंथ को नेशनल रिलीजन (National Religion) स्वीकार करने के पश्चात् एकमेव जागतिक मुस्लिम राज्य की संकल्पना समाप्त हुई और राष्ट्र-राज्य (nation state) के लिए रास्ता खुल गया । सामान्य मुस्लिम मानस पर एक ओर तो प्रारम्भिक एक केन्द्रीय जागतिक मुस्लिम राज्य की संकल्पना का प्रभाव है और दूसरी ओर पाश्चात्य ढंग के राष्ट्र-राज्य (Nation-State) की निर्मित की अपरिहार्यता का भी उसे भान है । मूल इस्लामी कानून की पवित्रता को भी वह मानता है, और कानून के आधुनिकीकरण की अनिवार्यता को भी ।

### अरब जगत

अरब जगत की दृष्टि से मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का बहाबी आंदोलन, सन् १७९८ में नेपोलियन का मिश्र में निवास तथा उसके द्वारा पश्चिमी आधुनिकता का मिश्र में प्रवेश, मिश्र, सीरिया, लेबनान, ईराक आदि राज्यों की अधिकांश अरब जनता का पाश्चात्य विचारों से सम्पर्क, १८२० में बशीर द्वितीय द्वारा लेबनान में और १८३० में इब्राहिम पाशा द्वारा सीरिया में प्रणीत जनजागरण अभियान, बाद में स्थापित “सीरियाई वैज्ञानिक संघ” तथा अरब देशभक्त युवकों के गुप्त संगठन का सन् १८८० का कार्य, सीरिया तथा लेबनान में स्थापित फ्रांसीसी तथा अमेरिकी शिक्षा संस्थाओं से फैली विचारधाराएं, दिनांक १.६.१८४१ के राज्यादेश के आधार पर मुहम्मद अली द्वारा डाली गई आधुनिक मिश्र राज्य की नींव, प्रशासन से तुर्की अधिकारियों को

निकालकर उनके स्थान पर अरब अधिकारियों की नियुक्तियां कर, आधुनिक ईजिप्शियन नेशनलिज्म को मुहम्मद अली द्वारा दिया गया प्रोत्साहन, सन् १८६९ में स्वेज नहर का खुलना, सन् १८८२ में अंग्रेजों द्वारा मिश्र पर प्रत्यक्ष कब्जा, "अब-हिज्ब-उल-वतकी" संगठन, २० वीं सदी के आरंभ में अरबी पाशा के आंदोलन को उनके सहायक जगलूल पाशा द्वारा दी गई नई गति, १९०४ में पेरिस में हुई "लीग-द-ला पामी अरब" की स्थापना, महत्वाकाक्षी इब्न सौद की उपलब्धियां, साम्राज्यातांगत समान प्रतिष्ठा तथा अरबी भाषा की मान्यता के प्रश्न पर सन् १९०८ में युवा तुर्कों की असफलता, लेबनान में ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया पाश्चात्य विचारों का प्रसार, पश्चिमी व्यापारियों का आवागमन, सीरिया की साहित्यिक समिति "अल-जाइमा-अल-इमइया-अल-सुहिया के द्वारा किया गया प्रचार, मिश्र में "हदीकत-अल-अखबार" द्वारा चलाया गया प्रचार अभियान, मिधत पाशा के शासनकाल में ईराक में प्रकाशित विचार, लेबनान, बेरुत आदि में समाचार पत्रीय कार्य, "बल-रूसअल-बुलतानी" द्वारा अरबी भाषा में रचित विश्वकोष, इब्राहीम-अल-याजीज की राष्ट्रीय रचनाएं, जनरल जमालपाशा द्वारा १९१४ में चलाया गया दमनचक्र, नवम्बर १९१७ में बोलशेवकों द्वारा गुप्त समझौते (Sykes Picot Agreement) के प्रकाशन के कारण अंग्रेज तथा फ्रांसीसी सरकारों के विश्वघाती षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन, यहूदियों के नेशनल होम (National Home) की स्थापना के विषय में बालफोर घोषणा, सीरिया-लेबनान पर फ्रांसीसी मेंडेट तथा फिलिस्तीन, ईराक पर ब्रिटिश मेंडेट थोपने की कार्रवाई, इसके खिलाफ ईसाई बहुल लेबनान की सौम्य और मुस्लिम बहुल सीरिया की तीव्र प्रतिक्रिया-आदि बातों ने प्रथम महायुद्धोत्तर राष्ट्रवादी लहर की पूर्व भूमिका तैयार की ।

## ईरान

ईरान कभी भी आटोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था । सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रथम शाह इस्माईल ने शियापंथ को फारस राज्य का सरकारी मजहब (State Religion) घोषित किया । कुस्तनितुनिया (Constantinople) इस्लाम पर एकाधिकार बताने वाले आटोमन सुलतान के लिए एक चुनौती था । इसके परिणामस्वरूप आटोमन साम्राज्य सुन्नीवाद का कट्टर समर्थक बन गया । आटोमन-फारस सीमा-विवाद में इंग्लैंड और रूस ने पहली बार सन् १८४२ में हस्तक्षेप किया, जो अगले सात दशक तक जारी रहा । सीमा-विवाद इस्लामी जगत के अंतर्गत दो सार्वभौम सत्ताओं में था । यूरोपियन देशों का हस्तक्षेप इस्लामी जगत के अन्दरूनी मामले में दखल देना था । पीटर द ग्रेट की आकांक्षा फारस की खाड़ी तक पहुंचने की थी । इसके अलावा अफगानिस्तान पर प्रभुत्व तथा ईरान, काबुल आदि व्यापारिक तथा सामरिक महत्व के केन्द्रों पर कब्जा इन दोनों यूरोपीय सत्ताओं का लक्ष्य था । ईरान की भूमि पर इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की आपस में रस्साकशी और तीनों का मिलकर जर्मनी के प्रवेश को रोकने का संयुक्त प्रयास इस कालखंड में ईरान का इतिहास है । १९०७ की आंग्ल-रूसी कन्वेंशन ने फारस को तीन प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया । उत्तर पश्चिम में रूस का और दक्षिण में इंग्लैंड का प्रभाव तथा मध्य फारस में तटस्थता का क्षेत्र था ।

विदेशी सत्ताओं का फारस की भूमि पर चला संघर्ष, विभिन्न सत्ताओं ने बल प्रयोग करके जो अधिकार और रियायतें ग्रहण कर ली थी उनके कारण फारस की आर्थिक दुर्दशा, सन् १९०८ के प्रथम फारसी संविधान के क्रियान्वयन में अपयश, इन सबकी प्रतिक्रिया के कारण ईरान के राष्ट्रभक्तों में असंतोष तथा इन देशभक्त क्रांतिकारियों का दिनांक १६.७.१९०७ को तेहरान में प्रवेश और शाह की पदच्युति की घोषणा, नए बालक शाह की अक्षमता आदि घटनाओं के फलस्वरूप नवागत पर्शिया इतना दुर्बल हो गया कि प्रथम महायुद्ध में उसने अपने को तटस्थ राष्ट्र घोषित किया तो भी वह तुर्की, रूसी और ब्रिटिश सैनिकों की युद्ध-भूमि बना और फारस की जनजातियों (Tribes) में विद्रोह की भावना भड़काने का काम जर्मनी के एजेंटों ने किया।

महायुद्ध के पश्चात् लीग ऑफ नेशंस ने ईरान को अपने सदस्य नेशन की प्रतिष्ठा प्रदान की। किन्तु १९.८.१९१९ को ईरान के मंत्रीमंडल के साथ इंग्लैंड ने जो समझौता किया वह ईरान को इंग्लैंड का पिछलग्गू बनाने वाला था। राष्ट्रभक्त "मजलिस" ने उसको ठुकरा दिया। यूरोपीय सत्ताओं के निरंतर हस्तक्षेप के कारण क्रुद्ध देशभक्त ईरानी रजा खान के नेतृत्व में एकत्रित हुए। वह ईरान का कमाल पाशा बन गया। बाद में वह पहलवी राजवंश का संस्थापक बना और आगे चलकर तानाशाह बना। किन्तु प्रथम महायुद्धोत्तर कालखंड में उसने उसी तरह की भूमिका का निर्वाह किया जिस तरह की तुर्की में कमाल पाशा ने निभाई थी।

इन राष्ट्रवादी कार्यकलापों के पीछे जिन घटनाओं की शक्तियां थी, उनमें प्रमुख थीं राष्ट्रवादी नवयुवकों की गुप्त समितियां, अली मोहम्मद का "बाबीवाद" नामक संगठन, अब्बास मिर्जा द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया प्रचार, जमाल-उद्दीन-अल-अफगान के ओजस्वी भाषण, इंग्लैंड स्थित ईरानी राजदूत मेलकामखां का अखबारों में प्रचार, सन् १९०५ में सहस्रों की संख्या में ईरानियों का वस्त (धरना), सन् १९०६ में अंजुमन संगठनों द्वारा सम्राट को झुकने के लिए बाध्य करना।

## तुर्की

ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार में प्रथम बाधा सन् १६८३ में उपस्थित हुई। उस वर्ष विएना जीत लेने के प्रयास में ऑटोमन सेनाएं असफल हुईं। इसके पश्चात् साम्राज्य का द्रुत गति से पतन प्रारंभ हुआ।

बहुभाषी, बहुवांशिक साम्राज्य को बांधकर रखने की क्षमता सुलतानों में नहीं रही। उनमें से अधिकांश अक्षम, विलासी और तानाशाही प्रवृत्ति के थे। इस कारण उनके विरोध में एक ओर जनता का असंतोष बढ़ने लगा और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, सैनिक संगठन, शांति, सुव्यवस्था की स्थिति, सामाजिक सौमनस्य आदि बातों में गिरावट आ गई। साम्राज्यान्तर्गत सम्प्रदायों के आधार पर संघ बने। १९१४ में उनकी संख्या सत्रह थी। Capitulation संधियों के माध्यम से यूरोपीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करना पड़ा कि उन पर अभियोग लगने पर उनका निवारण उनके देशों की विधि के अनुसार उनके न्यायाधीशों द्वारा होगा। सन् १८७० तक कुल

अठारह (१८) देशों के साथ ऐसी संधियां करनी पड़ी । आगे चलकर विदेशी सत्ताओं के कृपापात्र देशी नागरिकों तक को उन संधियों का संरक्षण प्राप्त होने लगा । इसके कारण विदेश निष्ठ तुर्की नागरिकों की संख्या लाखों में हो गई । साम्राज्य के ७० लाख ग्रीक आर्मेनियन ईसाई नागरिकों के संरक्षक की भूमिका रूस ने ले ली । किसी विदेशी सत्ता ने प्रत्यक्ष सैनिक विजय तो प्राप्त नहीं की, किन्तु तुर्की साम्राज्य की भूमि पर व्यापारिक तथा अन्य सहूलियतों के लिए विदेशी सत्ताओं की खींचतान चलने लगी । सुलतान मुहम्मद द्वितीय द्वारा "तनाजियत" के नाम पर सुधार का प्रयास, सुलतान अब्दुल मजीद (१८३९-६१) द्वारा नवम्बर १८३९ में रशीद पाशा को प्रेरणा से निकाला गया "हट्ट-इ-शरीफ गुलहने" का आदेश, १.२.१८५६ का "हट्ट-ए-हुमायुन" आदेश, ये सभी अधिकतर कागज पर ही रहे, उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका । २३.१२.१८७६ को लागू किए गए "कमाल मिदहत पाशा की प्रेरणा के मिधत" संविधान की कुछ ही महीनों में अपमृत्यु के बाद सन १९०८ तक तानाशाही चलती रही ।

सुलतान अब्दुल हमीद के विरोध में तुर्की तथा यूरोप में गुप्त क्रांतिकारी दल संगठित होने लगे । १८६५ में "सोसायटी ऑफ यंग टर्कस" बनाई गई । उसके अलावा गोकाल्प की "एसोसिएशन फार ऑटोमन यूनियन एण्ड प्रोग्रेस" एवं "ऑटोमन फ्रीडम सोसाइटी" बनी । सन् १८८९ में इस्तंबुल केन्द्रित "कमिटी ऑफ यूनियन एण्ड प्रोग्रेस" गठित हुई । उसके क्रांतिकारी सदस्यों को "युवा तुर्क" नामाभिधान प्राप्त हुआ । युवा तुर्कों का कार्यकलाप, १९०६ में सुलतान अब्दुल हमीद की क्रांतिकारियों के मुकाबले में पराजय, १९०६-७ में वेतन के प्रश्न पर सैनिकों के विद्रोह, १७.१२.१९०८ को पार्लेमेंट के अधिवेशन में युवा तुर्कों का बहुमत, २६.४.१९०९ को पार्लेमेंट द्वारा सर्वसम्मति से सुलतान अब्दुल हमीद की पदच्युति और तत्पश्चात् सत्ता पर युवा तुर्कों की पकड़ आदि घटनाओं के कारण महायुद्धोत्तर राष्ट्रीय जागृति का कार्य आसान हो गया । दिनांक ४.९.१९१९ को शिवासा में बुलाए गए राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा ९ सितम्बर को जारी की गई "शिवास घोषणा" को तुर्की राष्ट्र की पुनर्रचना का मूलभूत दस्तावेज माना जाता है । क्रांतिकारियों का घोष वाक्य 'पान ऑटोमनज्म' था । बाद में पान इस्लामिज्म और अंत में "पान तुशानिज्म याने "तुर्कीकरण" हो गया ।

## इस्लाम

राष्ट्रीयता के संदर्भ में इस्लाम की भूमिका के विषय में भारत में परिस्थितजन्य संभ्रम विद्यमान है । इसी कारण निहित स्वार्थ वाले राजनेताओं ने सेक्युलरिज्म की चर्चा जोरों से चलाई है । किन्तु वह यहां हमारी चर्चा का विषय नहीं है । यहां केवल राष्ट्रीयता के संदर्भ में इस्लाम की भूमिका पर विचार करना ही हमारा प्रयोजन है । जिन देशों में मुसलमान बहुसंख्या में हैं या बहुसंख्य-प्राय स्थिति में हैं उनकी संख्या ४४ है । इनमें स्वाभाविक रूप से भारत की गणना नहीं होती है, यद्यपि भारत में मुस्लिम जनसंख्या लगभग १२ करोड़ है और उसके अलावा तथाकथित

उपमहाद्वीप में पाकिस्तान और बंगलादेश की अलग-अलग जनसंख्या भी १० करोड़ से अधिक है । भारत मुस्लिम बहुल देश नहीं है फिर भी विश्व के मुसलमानों में से लगभग आधे मुसलमान तथाकथित भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करते हैं ।

२० मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनमें से हर एक में मुस्लिम जनसंख्या ५० लाख से कम है । पचास लाख से ऊपर और एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले आठ मुस्लिम देश हैं । एक करोड़ से दो करोड़ के बीच जनसंख्या वाले छः मुस्लिम देश हैं— अफगानिस्तान, ईराक, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण यमन तथा सीरिया । दो करोड़ से तीन करोड़ के बीच मुस्लिम जनसंख्या वाले ३ मुस्लिम देश हैं—अल्जीरिया, मरक्को तथा सूडान । पांच करोड़ से छः करोड़ के बीच मुस्लिम जनसंख्या वाले ३ मुस्लिम देश हैं—मिश्र, तुर्की तथा ईरान । दस करोड़ से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले ५ देश हैं—इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत ।

वास्तविकता यह है कि ईसाइयत की तरह इस्लाम भी संस्कृति नहीं, केवल एक मजहब मात्र है, यद्यपि ईसाइयत के समान ही इस्लाम की भी यह चेष्टा रही है कि वह अपने अनुयायियों की सम्पूर्ण निष्ठाओं पर एकाधिकार प्राप्त करके संस्कृति की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें । \*

\* \* \* \* \*

\* रूस में मुसलमानों की संख्या पांच करोड़ से अधिक है । रूस की कुल जनसंख्या में १८ प्रतिशत मुस्लिम हैं । मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से रूस पांचवे क्रम का देश है । मुस्लिम बहुल मध्य एशिया गणतंत्रों की सीमा से सटे हुए तुर्कीस्तान, ईरान और अफगानिस्तान है । साम्यवाद भी रूसी मुसलमानों को कट्टरवादी नेताओं के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं कर सका । अजरबेजानी-आर्मेनी संघर्ष इसी का परिणाम है । अजरबैजान के नोगोर्नो—कारबाख क्षेत्र में ८० प्रतिशत जनसंख्या आर्मेनी ईसाइयों की है । गैर-इस्लामी तत्वों के विरोध में सभी मुसलमान एकजुट हो सकते हैं ।

किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मध्य एशिया के रूसी गणतंत्रों में रहने वाले सभी मुसलमान मिलकर एक नेशन बन गए हैं । किसी नकारात्मक (Negative) बिन्दु पर संयुक्त मोर्चा बनना और भावात्मक (Positive) आधार पर नेशन बनना दोनों अलग बात है । रूसी मध्य-एशिया में अजरबैजान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगिजीस्तान और ताजिकिस्तान, सभी मुस्लिम बहुल गणतंत्र हैं ।

\* \* \* \* \*

मध्य युग के अंत तक ईसाइयत इस प्रयास में सफल रही । किन्तु रेनेसेंस के पश्चात् यूरोप में हुए नवजागरण के कारण मजहब का एकाधिकार क्षीण होता गया और दूसरी ओर यूरोप के विभिन्न समाजों की निजी संस्कृतियों के आधार पर अलग-अलग भागों में नेशनलिज्म का उदय हुआ । किन्तु इसका तात्पर्य नहीं कि नवोदित नेशन्स की जनता ने ईसाइयत को त्याग दिया ।

ईसा मसीह ने कहा था कि जो भगवान का है वह भगवान को दो और जो राजा का है वह राजा को दो' । इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने ईसाइयत को व्यक्तिगत और नेशनलिज्म को समष्टिगत कहा । यह ठीक है कि ईसाइयत के विरोध में हुए आक्रमणों का प्रतिकार करने या ईसाइयत का दुनिया में प्रचार करने के लिए चल रहे प्रयासों के प्रति ईसाईयों की सहानुभूति रही किन्तु निष्ठाओं का एकाधिकार ईसाइयत का नहीं रहा । निष्ठाओं में प्राथमिकता नेशनेलिज्म को मिली । यही कारण है कि इस शताब्दी के दोनों विश्व युद्ध ईसाई राष्ट्रों के बीच लड़े गए ।

अपनी इस दुर्बलता को पहचानते हुए ईसाइयत ने अब यह प्रयास चलाया है कि उसे संस्कृति की प्रतिष्ठा प्राप्त हो । इसलिए कुछ संज्ञाएं प्रचलित की गईं । जैसे, क्रिश्चन साइंस, क्रिश्चन कलाएं, क्रिश्चन वास्तुशास्त्र आदि । किन्तु वास्तव में यह सब अस्तित्वहीन कल्पनारंजन मात्र है । क्रिश्चन साइंस नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है । अस्तित्व में है यूरोपीय या पश्चिमी साइंस । यही बात कलाओं के विषय में भी है । यह मिथ्या प्रयास जानबूझकर इसलिए चलाया जा रहा है कि ईसाइयत के संस्कृति होने का मिथ्या आभास हो । यह सभी जानते हैं कि यूरोपीय या पश्चिमी संस्कृति तो है किन्तु ईसाई संस्कृति नाम की कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं ।

इस्लामी जगत में रेनेसांस के समकक्ष कोई प्रक्रिया नहीं हुई । इस कारण जिस तरह पोप की सत्ता क्रमशः क्षीण होती गई वैसी स्थिति खलीफाओं की सत्ता के बारे में नहीं हुई । किन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मुस्लिम देशों में नेशनलिज्म की लहर उठने लगी । उस समय खिलाफत को भी समाप्त किया गया । खिलाफत का पुनर्जीवन हो इसीलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के मुसलमानों के साथ हिन्दुओं ने भी बड़ा आंदोलन किया । भारत के मुसलमानों का शिष्टमंडल तुर्कीस्तान के राज्य प्रमुख मुस्तफा गाजी कमाल पाशा से मिलने गया । तुर्कीस्तान खिलाफत का केन्द्र था । किन्तु कमाल पाशा ने खिलाफत की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए भारतीय मुसलमानों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । अपने सोचने की आदत के अनुसार भारतीय मुसलमानों ने कमाल पाशा को यह लालच दिया कि "आप अपने देश में खिलाफत संस्था को पुनः प्रवर्तित कीजिए, हम आपको ही दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बनाते हैं" किन्तु यह प्रस्ताव भी कमाल पाशा ने ठुकरा दिया । जिस तुर्कीस्तान में खिलाफत का केन्द्र था उसके शासक तथा जनता ने खिलाफत को एक कालवाह्य संस्था घोषित किया और हिन्दू राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले हिन्दुओं ने खिलाफत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् निर्माण हुई राष्ट्रीयता की लहर ने मुस्लिम देशों के मजहब के ठेकेदारों को झकझोर दिया । अब तक उनका सभी मुसलमानों की सम्पूर्ण निष्ठाओं पर एकाधिकार था ।

इस एकाधिकार को चुनौती देने वाला दूसरा कोई भी श्रद्धा-केन्द्र अस्तित्व में ही नहीं था । जगह-जगह राज संस्थाएं थीं । उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए मजहब के इन ठेकेदारों के साथ समझौता कर लिया था और दोनों की मिलीभगत से जनजागृति होना मुस्लिम देश में असंभव हो गया था । ऐसे समय राष्ट्रीयता की लहर के कारण मुल्ला-मौलवियों का चौंक जाना स्वाभाविक ही था ।

कई मुस्लिम देश इस राष्ट्रीय जागृति के प्रभाव में आए गए । जैसे यूरोप में नवजागृत ईसाई देशों ने धर्माधिकारियों के एकाधिकार को चुनौती दी, किन्तु व्यक्तिगत उपासना पद्धति के नाते ईसाइयत कर त्याग नहीं किया, वैसे ही इन नवजागृत मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उपासना पद्धति के नाते व्यक्तिगत तौर पर कुरान, हदीस, मुहम्मद पैगम्बर साहब तथा इस्लाम की गरिमा को पूर्ववत् कायम रखा, किन्तु सार्वजनिक राष्ट्रीय जीवन में तब तक चल रही धर्माधिकारियों की दखलन्दाजी को अस्वीकार किया । उन्होंने अपनी-अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के पुनर्जीवन के आधार पर अपने-अपने राष्ट्र-जीवन की पुनर्चना करने का निश्चय किया । अपने एकाधिकार को धक्का देने वाली यह प्रक्रिया सहन करना धर्माधिकारियों के लिए असंभव था । अफगानिस्तान में अफगान राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि अमीर अमानुल्ला को उन्होंने अपदस्थ किया । ईरान में नवजागृत युवकों में ईरान के प्राचीन गौरवशाली इतिहास, उसके प्राचीन राष्ट्र पुरुष रूस्तम, सोहराब, जमरोद, बहराम आदि, प्राचीन पारसी साम्राज्य तथा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और सैनिक विजय के विषय में आत्मीयता उत्पन्न हुई । प्राचीन राष्ट्र पुरुषों के नाम विविध मार्गों तथा वस्तुओं को प्राप्त होने लगे । मुल्ला-मौलवियों ने इस प्रयास को कुम्भ घोषित किया; किन्तु उसे न मानते हुए राष्ट्र-भक्त लोग राष्ट्रीय जागरण का प्रयास करते रहे । निकट भूतकाल में ईरान की राजशाही ने विदेशी साम्राज्य सत्ता के प्रभाव में आकर जन विरोधी कार्य न किए होते तो खुमैनी का सत्ता में आना असंभव था ।

मिश्र में भी यही प्रक्रिया चली । जग-प्रसिद्ध पिरामिडों के निर्माता फरोआ राजाओं का गौरवशाली इतिहास फिर से जनता के सामने लाया गया । मजहब के ठेकेदारों ने कहा कि यह कु है; क्योंकि फरोआ राजा मुस्लिम नहीं थे । नवजागृत राष्ट्रभक्तों ने कहा कि जो मुहम्मद पैगम्बर के जन्म के पूर्व पैदा हुए वे मुसलमान कैसे हो सकते थे, इसलिए यह तर्क आधारहीन है । हम इस्लाम को, मुहम्मद साहब को, कुरान को पूर्ववत् मानते हैं, किन्तु इस कारण हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, अपने राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्र पुरुषों को भूल जाएं यह आवश्यक नहीं है । \*

\* \* \* \* \*

\* अरबी पाशा ने अरब नेशनलिज्म का नारा दिया । किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि सभी अरब लोगों की एक समूहगत अस्मिता है या नहीं । विदेशी सत्ताओं या यहूदियों के विरोध में निर्माण होने वाली नकारात्मक (Negative) एकता को क्या भावात्मक

(Positive) समूहगत अस्मिता कहा जा सकता है ? कुछ दशक पूर्व प्रेसिडेंट नासेर ने "अरब नेशनलिज्म" शब्द का प्रयोग किया इसलिए हमारे तथाकथित बुद्धिवादियों ने मान लिया कि इस नाम की कोई भावना आस्तित्व में होगी । यह सत्य है कि अरब एकता के लिए सतत प्रयास चलते रहे । जून १९२६ में इब्न सौद द्वारा मक्का में बुलाई गई "सर्व इस्लामी परिषद", सन् १९३४ में कर्नल न्यूकौम्ब द्वारा प्रस्तुत योजना, २० मई १९४१ को एन्थनी ईडन घोषणा से प्रोत्साहित होकर ईराक के प्रधानमंत्री नूरी-अल-सईद द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राज्य का प्रस्ताव, १३ नवम्बर १९४२ को मिश्र के प्रधानमंत्री नहशपाशा द्वारा किया गया अरब एकता का आह्वान, ६ अक्टूबर १९४४ में काहिरा सम्मेलन में पारित "अरबलीग" की स्थापना का विचार आदि प्रयास असफल क्यों रहे, इसका अन्वेषण करने की आवश्यकता है । सीरिया के नेशनलिज्म के अंतर्गत लेबनान में फ्रांस समर्थक उप-नेशनलिज्म कैसे निर्माण हुआ, यह विचारणीय है ।

हो सकता है कि "अरब नेशनलिज्म" नाम की भावना सभी अरब लोगों में विद्यमान हो, किन्तु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखने वाले अरब जगत में विभिन्न सत्ताधीशों की आपसी स्पर्धा एकता में बाधक सिद्ध होती है । यह भी हो सकता है कि अरब लोगों में नेशनलिज्म का उदय तो हो चुका हो, किन्तु यह नेशनलिज्म अर्थात् सभी अरब लोगों की मिलकर एक समूहगत अस्मिता के स्वरूप का न होकर अरब जगत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीयता के आधार पर विभिन्न सामूहिक अस्मिताओं का उदय के स्वरूप का तो गया हो । यह बात तो स्पष्ट है कि एकता के प्रयासों की पहल करने वाले हर एक नेता के मन में यह भावना थी कि दुनिया के सभी अरब लोग एक झण्डे के नीचे संगठित हों, किन्तु वह झण्डा और किसी का नहीं मेरा हो । अरबलीग के सदस्य के नाते २१ नेशन हैं, इसका अर्थ क्या है ?

इसका पूरा अन्वेषण किए बिना अरब जगत में उदित नेशनलिज्म के बारे में कुछ भी निष्कर्ष निकालना अपरिपक्वता होगी । खासकर वह देखते हुए कि हाल ही में अरबी तथा इस्लामी जगत के अद्वितीय नेतृत्व का दावा करने वाले ईराक में तरह-तरह के आंतरिक संघर्ष विद्यमान हैं—ईराकी, कुर्दी तथा तुर्क समूहों के, सुन्नी और शियाओं के और नागरी तथा घुमन्तुओं के संघर्ष सर्वविदित हैं । ईराक को "नेशन" की प्रतिष्ठा लीग ऑफ नेशंस ने अक्टूबर १९३२ में प्रदान की थी । यू.ए.आर. बनने के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सीरिया और मिश्र दो नेशन थे । यू.ए.आर. के निर्माण के पश्चात् दोनों मिलकर एक "नेशन" माने गए, किन्तु "अरब फेडरेशन" के गठन के बावजूद यू.एन.ओ. ने ईराक और जोर्डन दोनों को दो पृथक नेशन के नाते मान्यता दी । यू.एन.ओ. की "नेशन" की संकल्पना कितनी अशास्त्रीय है, यह इससे स्पष्ट होता है । जिंबाब्वे और नामीबिया के पश्चात् भी नेशन की मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से कुछ स्थिर कसौटियां अभी भी निश्चित नहीं है ।

इस तथ्य के अन्वेषण की दृष्टि से (कालातिक्रम स्वीकार किया तो) प्रेसिडेंट नासेर का

उदाहरण बहुत उद्बोधक होगा । नासेर ने तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । अरब नेशनलिज्म, सर्वअफ्रीकीवाद और सर्वइस्लामवाद के वे स्वयं घोषित मसीहा बन गए । किन्तु उनका वास्तविक उद्देश्य था “सर्व नासेरवाद” । अपनी राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही उन्होंने इन तीनों सिद्धांतों का उपयोग किया था, यह कालान्तर से स्पष्ट हुआ । नासेर ने अपने देशवासियों को कहा "We are in Africa. The people of Africa will continue to look up to us, who guard the Northern gate of the continent and who are its connecting link with the world outside" किन्तु न अफ्रीका के अन्य देशों ने ऐसी भावना मिश्र के बारे में प्रकट की और न नासेर ने ही इस दृष्टि से कोई सर्वअफ्रीकन कदम उठाया ।

अरब नेशनलिज्म के बारे में भी इनका दावा इसी तरह का था । ९ फरवरी १९५८ को मिश्र और सीरिया ने “संयुक्त अरब गणराज्य” की स्थापना की । तत्पश्चात् नासेर ने सीरिया का “मिश्रीकरण” (Egyptianisation) करने का प्रयास किया । इसकी प्रतिक्रिया में विद्रोह हुआ और ३ अक्टूबर १९६१ को सीरिया मिश्र से अलग हो गया । इसके पूर्व “युनाइटेड अरब रिपब्लिक” के साथ यमन को एक शिथिल महासंघ में मिलाकर नासेर ने ८ मार्च १९५८ को “युनाइटेड स्टेट्स” की घोषणा की । २६ दिसम्बर १९६१ को यमन मिश्र से अलग हुआ । १४ फरवरी १९५८ को निर्मित ईराक-जोर्डन की “अरब फेडरेशन” नासेर को चुनौती देने लगा था ।

सम्पूर्ण मुस्लिम जगत का नेता बनने की आकांक्षा से नासेर सर्वइस्लामवाद का प्रवक्ता बन गया, किन्तु तुर्की, ईरान तथा पाकिस्तान उसके बहकावे में नहीं आए । यह स्वाभाविक ही था; क्योंकि उसका उद्देश्य इस्लाम का मजहबी संवर्धन करना नहीं था । नासेर ने कहा Going to the Kaaba should never be a passport to heaven; after a lengthy life. Neither should it be a simple effort to buy indulgencies after an eventual life. The pilgrimage should be a great political power.’ उद्देश्य स्पष्ट है, वह महजबी नहीं, विशुद्ध राजनीतिक है । इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा कितनी लचीली थी, यह बाद में प्रकट हुआ । सन् १९५६ के संविधान में इस्लाम को राज्य का मजहब (State religion) घोषित किया गया था । किन्तु १९५८ के नये संविधान में इस्लाम का उल्लेख नहीं था; क्योंकि सीरिया में ईसाई बड़ी संख्या में थे । अतः राजनीतिक सुविधा के लिए नासेर तुरन्त ‘सेक्युलर’ बन गये, और इस्लाम को संविधान से विस्थापित कर दिया । आगे चलकर उन्होंने “अरब समाजवाद” का भी नारा दिया । १९६२ में सउदी अरब, यमन, सीरिया, जोर्डन और ईराक नासेर से नफरत करने लगे थे और कुवैत, सूडान तथा लीबिया भी उनके प्रति अविश्वास करने लगे ।

नासेर, इब्न सौद, फैसल कासिम, जैसे महत्वाकांक्षी राजनेता किसी भी “वाद” की घोषणा

अपने स्वार्थ की सिद्धि तथा पेट्रोल के लिए कर सकते थे; किन्तु अब तक इसका शास्त्रीय ढंग से विचार नहीं हुआ कि सभी अरब मिलकर एक राष्ट्र है या अरब जगत में विभिन्न राष्ट्र विद्यमान हैं और इन राष्ट्रीय अस्मिताओं का विद्यमान शासकीय ईकाइयों से अनिवार्य रूप से समव्यापित सम्बंध नहीं है । \*

\* \* \* \* \*

\*\* यू. एन. ओ. के मापदण्ड से कोरिया एक नेशन है या दो । गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था 'Korea is a lamp that has for long enlightened the world and shall continue to do so.'

कोरियाई लोगों का निकटवर्ती जापानी या चीनी लोगों ने साधर्म्य नहीं है । सियोल से बुडापेस्ट तक एशिया-यूरोप का अतिक्रमण करने वाले हूणों के ये वंशधर हैं । इनकी भाषा फिनो उग्रीय परिवार की है । उनका कहना है कि कोरियन भाषा हंगेरी की भाषा से अधिक सादृश्य रखती है, न कि चीनी या जापानी भाषा से । उनका संगीत भी हंगेरियन संगीत के अधिक निकट है ।

सन् १९१० से १९४५ तक जापानी उपनिवेशवाद ने कोरिया की संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए । यहां तक कि शिक्षा संस्थाओं, शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर कोरियन भाषा का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया ; फिर भी जापान कोरियन संस्कृति को नष्ट नहीं कर सका । बीस लाख कोरियन लोगों का बलिदान लेने वाले कोरियन युद्ध और साम्यवाद के आक्रमण के बावजूद कोरिया ने अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखी है, यू. एन. ओ. किसी भी मापदण्ड का प्रयोग करे इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । \*\*

तुर्कीस्तान में यह संघर्ष और भी तीव्र रहा । तुर्कों ने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से उपासना पद्धति के नाते इस्लाम को पूरा सम्मान देते हैं । हम मस्जिद में जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं किन्तु यह तर्कसंगत नहीं है कि इस्लाम के नाम पर, इस्लाम का बहाना लेकर हमारी तुर्की राष्ट्रीय संस्कृति पर अरबी संस्कृति द्वारा किया गया आक्रमण भी सहन कर लें । अरबी भाषा का तुर्की भाषा पर अरबी रीति-रिवाजों का तुर्की रीति-रिवाजों पर आक्रमण नहीं होने देंगे । उन्होंने तुर्की भाषा में से सभी अरबी शब्दों को निकाल कर अपनी भाषा का शुद्धीकरण किया । पर्दा आदि अरबी रीति-रिवाज भी समाप्त किए । श्री गोआकआल्प के नेतृत्व में तुर्कीकरण का अभियान चला । इसके अंतिम चरण में कुरान का तुर्की भाषा में भाषांतरण करने का कार्यक्रम रखा गया तो मुल्लाओं ने इसका विरोध किया । तुर्की राष्ट्रभक्तों ने उत्तर दिया कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं; किन्तु यह कहना कहां तक उचित है कि अल्लाह को केवल अरबी भाषा ही समझ में आती है और वही बात यदि तुर्की भाषा में कही तो वह समझ नहीं पाएगा । जिस शुक्रवार को तुर्की भाषा में कुरान

पढ़ने का पहला कार्यक्रम हुआ उस दिन पूरे तुर्कीस्तान में राष्ट्रभक्तों और मजहब के ठेकेदार के बीच सड़कों और गलियों में संघर्ष हुआ। इस्तंबुल तथा अन्य कई शहरों के रास्तों पर खून बहने लगा।\*

\* \* \* \* \*

सन् १९२० में ग्रैण्ड नेशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन मुस्तफा-कमाल पाशा की अध्यक्षता में अंकारा में हुआ। इस ग्रैण्ड नेशनल असेंबली ने ३ मार्च १९२४ को खिलाफत को समाप्त किया। २० अप्रैल १९२४ को तुर्की का संविधान पारित किया गया। इस संविधान की धारा २ में इस्लाम को राज्य का मजहब (State-religion) घोषित किया था। १९२८ में यह धारा संविधान में से निकाल दी गई। इसके बाद “पान-इस्लामिज्म” के स्थान पर “पान-तुरानिज्म” तुर्की का बोध वाक्य हुआ। “पान-तुरानिज्म” याने तुर्कीकरण का अभियान। इसके पूर्व सन् १९२५ में बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया और उनके स्थान पर समयानुकूल कानून बनाया गया जिसमें Swiss Civil Code, German Commercial Code & Italian Penal Code के उपयुक्त भाग समाविष्ट किए गए। सिविल मैरिज को अनिवार्य बनाया गया। सन् १९२८ में अरबी लिपि को अवैध घोषित किया गया और रोमन लिपि को स्वीकार किया गया। सन् १९३४ में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। यह बात इस्लाम से मेल खाने वाली नहीं थीं। सन् १९३५ में शुक्रवार के स्थान पर रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का दिन घोषित किया गया। यह ध्यान में रखने योग्य बात थी कि ऑटोमन साम्राज्य के इस्लामी किन्तु गैर तुर्की प्रदेशों को काल पाशा ने अपने नवनिर्मित तुर्की में समाविष्ट नहीं किया। ऑटोमन साम्राज्य की “पान-इस्लामिज्म” की घोषणा साम्राज्य के इस्लामिक किन्तु गैर तुर्की लोगों को वश में करने में असफल हुई। आज का तुर्कनागरिक अपने आपको “तुर्क” कहने में अधिक गौरव अनुभव करता है, न कि “मुस्लिम” कहने में।

\* \* \* \* \*

उल्लेखनीय है कि नव राष्ट्रीय चेतना से युक्त लोगों को मुस्लिम देशों में भी मुल्लाओं के साथ वैसा ही संघर्ष करना पड़ा जैसा भारत के राष्ट्रभक्तों को करना पड़ रहा है। रिलीजन के कारण राष्ट्रीयता के साथ बखेड़ा तभी निर्माण होता है जब रिलीजन अपनी वास्तविक मर्यादाओं को लांघकर राष्ट्रीय जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करता है \*

\* मलेशिया में महाथिर-बिन-मोहम्मद की पंथ-निरपेक्ष सरकार चल रही है। वहां कट्टरपंथी “सर्व-इस्लामवाद” का प्रचार करने वाली आल मलाया मुस्लिम पार्टी को जनसमर्थन प्राप्त

नहीं हो रहा है । वित्तमंत्री अनवर इब्राहीम के नेतृत्व में चल रहे जनजागरण के अभियान में लोगों को समझाया जा रहा है कि “शरियत इस्लाम नहीं है, वह तत्कालीन अरबी समाज का कानूनी विधान है, जो आज कालवाह्य हो चुका है । भूख, गरीबी आदि महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केन्द्रित न करते हुए शरियत का सवाल उठाना याने गरीब मुसलमानों को गुमराह करना है । अलजीरिया में भी इसी तरह का द्वाद चल रहा है । \*

\* \* \* \* \*

इण्डोनेशिया में ऐसा हस्तक्षेप नहीं है । इसी कारण ९५ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या होते हुए भी वहां हिन्दू संस्कृति का अनुसरण चल रहा है । चीन में ९० प्रतिशत लोग एक ही अर्थात् “हान” वंश के हैं । बाकी १० प्रतिशत में विभिन्न ५५ जनजातियों के लोग आते हैं । चीन के सभी परिवार मजहब के आधार पर नहीं, वंश या जनजाति के आधार पर चल रहे हैं । वहां एक ही परिवार में विभिन्न सदस्य विभिन्न उपासना पद्धतियों का अनुसरण करते हैं । वहां उपासना पद्धति को विशुद्ध व्यक्तिगत बात मानने के कारण उनके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा नहीं आती । वहां जनगणना के समय गिनती का आधार मजहब नहीं, वंश होता है । इस कारण “अल्पसंख्य” की परिभाषा भी मजहब के आधार पर नहीं, वंश के आधार पर की जाती है । चीन की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था में जो मुसलमान हैं वे वहां मुसलमानों के प्रतिनिधि होने के नाते चुनकर आए हुए नहीं होते, अपितु अपने-अपने वंश के प्रतिनिधि के नाते अपने ही वंश के अन्य पंथीय प्रतिनिधियों के साथ वे सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था में प्रवेश करते हैं । हमारे देश में यह जानकर लोगों को आश्चर्य होगा कि चीन में इस्लाम, बौद्ध और ईसाइयत आदि के अनुयायियों की कुल संख्या कितनी है इसके आंकड़े चीनी सरकार के पास नहीं हैं ।

पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में इस्लामी कट्टरपंथी विचार चल नहीं सकता । सल्मान रूशदी के विरुद्ध खुमैनी का फातवा इन देशों को अनुचित प्रतीत हुआ । यह भी स्पष्ट है कि इस्लामी कट्टरवाद किसी भी लोकतांत्रिक पश्चिमी देश में यदि सिर उठायेगा तो उसका उचित प्रतिवाद वहां की जनता के द्वारा अवश्य किया जाएगा ।

साम्यवादी जगत में अल्बानिया एक मात्र मुस्लिम बहुल देश था । विश्व में यह पहला देश था जिसने स्वयं को “नास्तिक” घोषित किया ।

रूस में मध्य एशिया के जो मुस्लिम बहुल गणराज्य थे, उनमें कट्टरवाद प्रवेश कर रहा है । आर्मेनिया का संघर्ष उसका एक संकेत है । इस कट्टरवाद के प्रति रूस की अधिकृत प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है । नवम्बर १९८६ में अपने ताशकंद भेंट में गोर्बोचेव ने इस्लाम को ‘an instrument for the spiritual oppression of the workers and for the subjec-

tion of the people of the East.' घोषित किया और अपने अनुयायियों से अनुरोध किया कि वे मस्जिदों में न जाएं । यह भी घोषित किया गया कि मजहबी समुदायों को नेशनलिटीज के समकक्ष नहीं माना जा सकता । \*

\* \* \* \* \*

\* हमारे देश में कई लोग ऐसा मानते हैं कि रूस के मध्य एशिया के सभी इस्लामी गणतंत्र मिलकर मानसिक दृष्टि से एक इकाई बन गए होंगे । किन्तु वैसी बात नहीं है । परिस्थितिजन्य संघर्ष में सभी की नकारात्मक एकता होना बात अलग है, किन्तु सामान्यतः सभी गणतंत्र अपनी-अपनी पृथक अस्मिता रखते हैं । हर एक गणतंत्र में भी समूहगत अस्मिता पूरी तरह विद्यमान नहीं है । उदाहरणार्थ, उजबेकिस्तान में कई नेशनलिटीज हैं, कई भाषाएं चलती हैं । उजबेक लोगों की बहुसंख्या है, किन्तु उनके अलावा ताजीक, तातार आदि दर्जनों अन्य नेशनलिटीज भी उस गणतंत्र में हैं । पहले उजबेक लोग अपनी भाषा अरबी लिपि में लिखते थे । किन्तु उजबेगी भाषा की ठीक अभिव्यक्ति के लिए वह लिपि अपर्याप्त प्रतीत हुई । इसलिए नई वर्णमाला विकसित की गई, जिसका आधार प्रथम लेटिन और बाद में रूसी लिपि रही । अन्य गणराज्यों में भी कम-अधिक मात्रा में इसी तरह की स्थिति है । \*

\* \* \* \* \*

वास्तविकता यह है कि परिस्थिति के दबाव के कारण ऐतिहासिक घटनाओं का ठीक ढंग से अर्थ लगाना भी हमारे नेताओं के लिए असंभव हो गया । संस्कृति राष्ट्रीयता की आत्मा है, और इस्लाम संस्कृति नहीं है, इसी कारण पाकिस्तान (सिंध) के श्री जी.एम. सैयद ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि हमारी यह धारणा गलत थी कि इस्लाम के आधार पर राष्ट्र-निर्माण हो सकता है । ढाका ने इस्लामाबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो उसी क्षण यह तथ्य संसार की समझ में आ गया । वस्तुतः इस्लाम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न राष्ट्रों या जनजातियों की अपनी-अपनी संस्कृति या सामूहिक विशेषताएं हैं । वही उनकी सामूहिक अस्मिता का आधार है । इस्लाम कहीं भी सामूहिक या राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है । यह सही है कि विभिन्न देशों के मुस्लिम या गैर मुस्लिम राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए इस्लाम के नाम का उपयोग करते हैं; किन्तु वे इस्लाम के वास्तविक प्रवक्ता नहीं हैं । अबुल-आला मौदुदी का यह कथन सुविदित है कि पाकिस्तान के निर्माण का आंदोलन करने वाले मुस्लिम नेता पश्चिम से प्रभावित थे । वे इस्लाम के सही प्रतिनिधि नहीं थे । भारत पर समय-समय पर हुए आक्रमण विस्तारवादी अरब, तुर्की, पठान और मुगल राज नेताओं के आक्रमण थे । ये राजनेता इस्लाम के अधिकारी पुरुष नहीं थे, यद्यपि यहां अपने-अपने शासन की लॉबी खड़ी करने की दृष्टि से उन्होंने

इस्लाम का उपयोग किया । आजकल बहुचर्चित बाबर भारत में इस्लाम को बचाने के लिए आया था क्या ? यदि ऐसा होता तो यहां आते ही उसका पहला संघर्ष किसी हिन्दू शासक के साथ हुआ होता; किन्तु उसकी पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ हुई और बाद में हुई लड़ाइयां जैसे हिन्दू शासकों के विरुद्ध हुई वैसी ही अफगानशासकों के विरुद्ध भी हुई । भारत पर आक्रमण करने वाले इन चारों समूहों के राजनेताओं का उद्देश्य राजनीतिक विस्तारवाद ही था और इसके लिए वे आपस में भी उतने ही उत्साह से लड़ते थे जितने उत्साह से हिन्दुओं के साथ । अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए "शिया बनाम सुन्नी" विवाद का उपयोग करने में उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की । यह एक शास्त्रीय अन्वेषण का विषय है कि इस्लाम के नाम पर हुए कितने संघर्ष उपासना पद्धति के लिए थे और कितने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ।

प्रकृति का नियम है "एक संस्कृति—एक राष्ट्र" । इसी कारण ईसाई देशों में भी आपसी संघर्ष पाए जाते हैं और मुस्लिम देशों में भी । जिसको इस्लाम का त्राता होने का सम्मान इतिहास ने दिया है उस गाजी सलाउद्दीन के वंश "कुर्द" के खिलाफ सद्दाम हुसैन वर्षों से दमन की क्रूर कार्रवाई करते आ रहे हैं, और उसी सद्दाम हुसैन को भारत के मुसलमान "इस्लाम" का रक्षक" घोषित करते हैं । इस अत्याधुनिक घटना से यह प्रकट होता है कि इस्लाम विषयक राजनेताओं का प्रचलित चिन्तन कितना अशास्त्रीय है ।

इस्लाम राष्ट्र के निर्माण का आधार नहीं बन सकता, इतना ही नहीं इस्लाम अपने ही अनुयायियों को सुसंगठित रखने में भी असमर्थ सिद्ध हुआ है । हमारे देश में कई विचारक मुस्लिम कट्टरवाद से चिन्तित हैं । वास्तव में यह चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए । क्योंकि मुस्लिम कट्टरवाद भी विभिन्न प्रकार का है । सभी कट्टरवादी एक ही समूह में नहीं हैं । शिया कट्टरवादी और सुन्नी कट्टरवादी एक दूसरे के विरोध में हैं । भारत के सुन्नी कट्टरवादियों में भी मौदुदी का पंथ और फजलुर रहमान के अनुयायी परस्पर विरोधी हैं । ये दोनों तरह के कट्टरवादी पाकिस्तान तथा भारत के मुस्लिम राजनेताओं को इस्लाम का प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं हैं । भारत का सर्वसाधारण मुसलमान मूलतः इस भूमि की संस्कृति के साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, यद्यपि राजनेताओं के बहकावे में आकर वह राष्ट्रविरोधी कार्यवाही करने के लिए तैयार हो जाता है ।

अपने ही अनुयायियों को एकत्रित रखने में इस्लाम किस तरह असमर्थ है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान प्रस्तुत करता है । पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लाम के नाम पर हुआ था; किन्तु वहां के सभी मुसलमान एकत्रित नहीं रह सके । लखनऊ की तरह कराची तथा अन्य नगरों में शिया-सुन्नी दंगे चलते रहते हैं । इस शताब्दी के सातवें दशक में हजारों की संख्या में बलूची मुस्लिमों का संहार किया गया । १९५३ में पंजाब में रहने वाले अहमदिया मुस्लिमों का हजारों की संख्या में कत्ल हुआ । सन् १९७९ में जकात आदि इस्लामिक कराधान के विरोध में पाकी शियाओं ने संघर्ष किया । सन् १९७१ में हुआ लाखों बंगाली मुस्लिमों का नरसंहार जग प्रसिद्ध है । पाकिस्तान में शिया, दाउदी बोहरों और आगारवानी खोजों की संख्या १५ प्रतिशत है । ये सब स्वयं को असुरक्षित मानते हैं । सिंध, पाख्तूनिस्तान तथा बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से पृथक होने की इच्छा घोषित की है ।

सिन्धी, पंजाबी, सुन्नी-आगाखानी खोजे, सुन्नी कांदियानी, शिया-सुन्नी, पठान-पंजाबी बलूची-पंजाबी संघर्षों में मुहाजिरीनों के विरुद्ध अफगानी निर्वासितों के बीच संघर्ष भी जुड़ गए हैं ।

भारत से पाकिस्तान गए उर्दू भाषा-भाषी मुहाजिरीनों की संख्या एक करोड़ से अधिक है । पाकिस्तान के सिन्धी, पंजाबी, पठान तथा बलूचियों के साथ उनका संघर्ष पूरे पाकिस्तान में प्रखर होता जा रहा है । ये सभी इस्लाम के अनुयायी हैं ।

सामयिक, परिस्थितिजन्य उत्तेजनाओं से मन को मुक्त करें तो सहज ही यह तथ्य ध्यान में आ जाएगा कि मजहब और संस्कृति में अन्तर क्या है ? वैसे तो हिन्दू द्वेष के आधार ही पाकिस्तान के शासक अपनी गद्दी कायम रख सकते हैं और इस दृष्टि से हिन्दू विरोधी अभियान उनकी राजनीतिक आवश्यकता है, वहां हिन्दुओं पर अत्याचार होते रहते हैं; किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दू सांस्कृतिक प्रभाव से पाकिस्तान पूर्ण रूप से मुक्त हुआ है । गुजराती खोजे, मेमन, बोहरे अभी भी हिन्दू संस्कृति की परम्पराओं का पालन करते हैं । सिंध में राजादाहिर की स्मृति का सम्मान तथा पाकिस्तान में अधिकृत रूप से पाणिनी की अपने पूर्वज के नाते गौरवपूर्ण सुप्रसिद्धि इसका प्रमाण है । श्री मुजफ्फर हुसैन अपने “मुस्लिम मानस” में बताते हैं कि मलिका-ए-तरन्नुम नूरजहां अपनी कृष्ण-भक्ति के कारण विवाद का विषय बनी थीं, किन्तु पाकिस्तान के आगाखानी खोजे प्रकट रूप से कृष्ण भक्त हैं । प्रेम जी, पदमसी, मोहन भाई लाड़ली भाई जैसे नाम उनमें प्रचलित हैं । सन १९८० तक सिंध हैदराबाद में रावण-दहन होता था । रामलीला भी होती थी । थारपारकर जिले में अभी भी रामलीला होती है । दशहरा दीवाली के लिए लाहौर तथा सिंध रेडियो से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । पाकिस्तान में जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस अवसर पर लाहौर रेडियो पर बीस मिनट और सिंध रेडियो पर तीस मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । लाहौर की फिल्मी दुनिया जन्माष्टमी, वैशाखी एवं वसन्त पंचमी के त्यौहार मनाती है । पाकिस्तान में सर्वाधिक सुसंगठित हिन्दू समुदाय अर्थात् बाल्मीकि समाज द्वारा सम्पन्न बाल्मीकि जयन्ती के कार्यक्रम को रेडियो पर दस मिनट के लिए प्रस्तुत किया जाता है । भारतीय चित्रपटों तथा रामायण और महाभारत सीरियल के कैसेट्स वहां बड़ी संख्या में प्रचारित हो रहे हैं और उसके कारण मुसलमान बालकों में भी धनुषबाण लोकप्रिय हो रहा है । इस घटना को वहां के कट्टरवादी लोग “सांस्कृतिक आक्रमण” की संज्ञा दे रहे हैं ।

नृत्य तथा गायन गैर इस्लामी है; किन्तु भारतीय कैसेट्स के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है । हिन्दुओं द्वारा त्यौहार मनाने में, विशेष रूप से बसंत पंचमी मनाने में, मुसलमान भी उत्साह दिखाते हैं । रोशनी, पतंगबाजी, संगीत तथा सार्वजनिक स्तर पर लाहौर, पेशावर मुल्तान, क्वेटा जैसे नगरों में नृत्य को भी अधिकृत प्रोत्साहन मिला है । ये सारे तथ्य किस बात का संकेत देते हैं ? यही कि राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू विरोध करना आवश्यक होते हुए भी सांस्कृतिक बातों को रोका नहीं जा सकता ।

भारत में मुस्लिम समस्या के स्वरूप पर पुनर्विचार की आवश्यकता है । सर्वसाधारण मुसलमान यहां की संस्कृति में ही पला है और अनुभव भी करता है कि वह हिन्दुओं के ही खून-खानदान का है; अतएव भारतमाता का पुत्र है । उसको नेताओं द्वारा भड़काया जाता है । किसी भी कारण से सर्वसाधारण मनुष्य आसानी से उत्तेजना में आ सकता है; किन्तु यह क्षणिक उत्तेजना समाप्त होने के बाद सत्य का दर्शन करने की भी क्षमता उसके अन्दर है । सर्वसामान्य मुसलमानों को उकसाने वाले मुसलमान नेताओं का नेतृत्व मुसलमान समाज में से उभर कर ऊपर नहीं आया है । मुसलमान समाज ने उनको अपना नेता नहीं बनाया है । प्रारंभ में मुसलमान समाज पर जिनका प्रभाव भी नहीं था; किन्तु सस्ती प्रसिद्धि के प्रकाश में आने के लिए जो मुसलमान नेता अनुयायीविहीन होते हुए भी समाचार पत्रों में करोड़ों मुसलमानों के प्रतिनिधि के नाते वक्तव्य देते थे, उनको, उनके पीछे कितने मुसलमान हैं इसकी जांच न करते हुए जल्दबाजी में, हिन्दू राजनीतिक नेताओं ने समझौते के लिए मुस्लिम नेता के नाते मान्यता दे दी और और उसके पश्चात् बहुत सारे मुसलमानों को समाचार पत्रों द्वारा ही इन नेताओं के नाम जानने का अवसर प्राप्त हुआ । मतलब यह कि आज के भारत का साम्प्रदायिक मुस्लिम नेतृत्व मुसलमान समाज की नहीं, हिन्दू राजनेताओं की देन है । हिन्दू राजनेताओं को ठीक सबक सिखाया गया तो उनका यह राष्ट्र-विरोध गौरखधंधा थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगा और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में समाविष्ट होने में मुसलमानों को देर नहीं लगेगी ।

साम्प्रदायिकता की समस्या दूर हुई तो भी एक सामाजिक समस्या का विचार गम्भीरता से करना आवश्यक रहेगा । यह समस्या है अपराधिकता की । इसके कारणों का शास्त्रशुद्ध अध्ययन करते हुए उनका निराकरण किया जाए । इसके लिए प्रभावी उपाय योजना बनाना आवश्यक है । इस प्रवृत्ति का किसी भी मजहब के साथ संबंध नहीं है । किन्तु सैयद शहादुद्दीन का प्रेक्षण है कि अन्य पंथों की तुलना में मुसलमानों में यह प्रवृत्ति ज्यादा पनप रही है— 'Muslim India' के नवम्बर १९८७ के अंक में सैय्यद शहाबुद्दीन लिखते हैं "On a per capita basis, Muslims in India nurse more criminality, indeed in big cities, the underworld has a high Muslim proportion, specially in smuggling, bootlegging and murder on hire."

यह प्रवृत्ति केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सम्पूर्ण हिन्दू राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है और शास्त्रीय चिकित्सा के आधार पर इस प्रवृत्ति को दूर करने की जिम्मेदारी भी सम्पूर्ण राष्ट्र की है । इस प्रवृत्ति का मजहब के साथ कुछ लेना-देना नहीं है ।

सारांश यह कि सर्वकषं विचार करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत की मुस्लिम समस्या हिन्दू राजनेताओं की निर्मित है, और यदि हिन्दू राजनेताओं की मानसिकता परिवर्तित की गई तो इण्डोनेशिया के समान ही भारत के मुसलमान भी हिन्दू राष्ट्रीय संस्कृति के प्रमुख प्रवाह के साथ, अपनी इस्लामी उपासना-पद्धति को पूर्णरूपेण कायम रखते हुए, एकात्म हो सकते हैं ।

निहित स्वार्थ वाले राजनेताओं ने मंथरा या शकुनि मामा की भूमिका न निभाई तो सामान्य मुसलमानों को श्री कुलिश जी के इस निष्कर्ष से सहमत होने में देर नहीं लगेगी कि “हिन्दू राष्ट्र में ही मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं ।” (राजस्थान पात्रिका दिनांक २.५.९१) । श्री कुलिश जी कहते हैं, “वास्तविकता तो यह है कि अगर मुसलमानों की सुरक्षा कहीं है तो हिन्दू राष्ट्र में ही है, न कि मुस्लिम राष्ट्र में । दुनिया में चारों तरफ नजर डालें किसी भी इस्लामी देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं । सभी इस्लामी देश आपस में लड़ते रहते हैं । भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया; लेकिन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच जिस कदर लड़ाई ठनी, वह अभी बीस बरस पहले की बात है । इस लड़ाई में हजारों मुसलमान ही मारे गए और उन्हें मुसलमानों ने ही मारा । अब पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में मुहाजिर आन्दोलनकारियों को जिस तरह भूना जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । मरने-मारने वाले दोनों ही मुसलमान हैं । अफगानिस्तान में भी यही हुआ ।”

अभी-अभी कुवैत पर ईराक ने हमला किया और सारे अरब देश हिल उठे । उन्हें अमरीका की शरण में भागना पड़ा । लड़ाई ठनी और लाखों की संख्या में मुसलमान ही मारे गए । इससे पहले आठ वर्ष तक ईरान पर इराक ने हमला जारी रखा और वहां भी लाखों की संख्या में मुसलमान ही मरे थे । इससे भी पहले अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी क्रांति के नाम पर लाखों मुसलमानों को मरवा डाला था । एक नहीं अनेक उदाहरण संसार के इस्लामी देशों के मौजूद हैं जो भीतर-बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ते और खून-खराबा करते रहते हैं । उगांडा के इदी अमीन, लीबिया के गद्दाफी के नाम गिनाये जा सकते हैं जो अपनी प्रजा का कत्ल करके हुकूमत कायम रखते हैं । ऊपर दिए गए सभी उदाहरण मौजूदा इतिहास के हैं, पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है । ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि लाखों की संख्या में मुसलमानों को हर साल मुसलमान ही मार रहे हैं ।

जब हिन्दुस्थान की ओर देखते हैं तो यही कहना पड़ता है कि यहां हिन्दू-मुसलमान विवाद बना हुआ है । बार-बार दंगे होते हैं, इन दंगों में मरने वालों की तादात दर्जनों तक रहती है । एकाध बड़े दंगों में सैंकड़ों जाने भी गई हैं । दूसरी बात यह कि दंगों में हिन्दू और मुसलमान दोनों मरते हैं । ८५ प्रतिशत हिन्दुओं के देश में दंगों में हिन्दू मरते हैं यह बात ही बताती है कि जो दंगे होते हैं वे स्थानीयतौर पर किसी उत्तेजक कारण से अचानक भड़क जाते हैं । अगर हिन्दू संगठित होकर मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते तो या तो दंगे होते ही नहीं या मरने वालों में सिर्फ मुसलमान ही होते । इन दंगों की मिसाल देकर यह कहना सरासर धोखा है कि हिन्दुस्थान में मुसलमानों को खतरा है ।

सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों की सुरक्षा हिन्दू राष्ट्र में ही है । मुस्लिम देश पाकिस्तान में मुसलमान जितना असुरक्षित है उसके मुकाबले हिन्दुस्थान में नहीं है, क्योंकि हिन्दू कौम में आक्रामक वृत्ति नहीं है, और वह असहिष्णु भी नहीं है ।

सारांश, इस्लाम के मजहबी आधार पर नेशन या राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, और इस्लाम अपने अनुयायियों को भी एक सूत्र में बांधने के प्रयास में बार-बार और स्थान-स्थान पर असफल रहा है ।

### हिन्दुत्व और उपासना-पद्धतियां

उपासना पद्धति विशुद्ध व्यक्तिगत बात है, अतएव सामूहिक संस्थाओं या संकल्पनाओं पर इसका प्रभाव नहीं चाहिए । यह बात विदेशों के विषय में भी सही है, और भारत के विषय में भी ।

९ सितम्बर, १९६८ को औरंगाबाद के श्री ए.एच. डॉक्टर को श्री गुरुजी लिखते हैं... इस कारण आप सभी का (पारसी समाज का) समावेश "हिन्दू" की एक ही संज्ञा में किया गया तो मुझे वह बात बहुत पंसद आयेगी । इसके लिए किसी को भी अपनी विशेषताएं छोड़ देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है" ।

दिल्ली के श्री मुहम्मद रफी को ३ मार्च, १९७० को लिखे पत्र में श्री गुरुजी लिखते हैं... ईद-उल-जूहा तथा होली के पवित्र त्यौहारों के निमित्त आपने शुभेच्छा व्यक्त की... सभी पवित्र त्यौहार, फिर वे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, मनुष्यमात्र को भगवान की भक्ति उत्कटता से करने का स्मरण दिलाते हैं । उनके कारण सभी का भला हो सकता है । आपके पत्र में से यही शुद्ध भाव प्रकट होता है । इस कारण मैं मनःपूर्वक आपका अभिनन्दन करता हूँ" ।

भारत के मुसलमानों के विषय में १३ अक्टूबर १८६४ को पं. पद्मकांत मालवीय, सम्पादक "अभ्युदय", इलाहाबाद को श्री गुरुजी लिखते हैं... मैंने अपने प्रकट भाषणों में बार-बार कहा है कि भारत, भारतीय राष्ट्र-परंपरा तथा भारतीय राष्ट्रपुरुषों के विषय में श्रद्धा, भक्ति तथा गौरव की भावना रखते हुए और राष्ट्र की सुख-समृद्धि के लिए उद्योगप्रवण रहकर भारत की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जो सब तरह से सिद्ध रहते हैं, इन गुणों से युक्त होकर जो काम करते हैं वे परमेश्वर की उपासना किस नाम से करते हैं, यह सोचने की आवश्यकता नहीं" ।

कुंवर देवेन्द्र प्रतापसिंह सोलंकी को लिखे अपने २९ मार्च, १९६६ के पत्र में श्री गुरुजी कहते हैं, "अहिन्दू समाजों ने अपने संप्रदाय का सार्थ अभिमान रखते हुए भी भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा को यथायोग्य आदरपूर्वक स्वीकार करना यह इस देश में राष्ट्रीयता का लक्षण है । इस इष्ट परिवर्तन के लिए प्रेरक आदर्श चारित्र इस नाते आपने रहीम का वर्णन बारीकियों के साथ दिया है, यह समयोचित तथा आवश्यक है ।

१२ मार्च १९३९ को कराड के श्री क.र. खैरतखान को श्री गुरुजी लिखते हैं... "अपने देश में अहिन्दुओं की संख्या बहुत कम है । शेष लोग बीच की अवधि में किन्हीं कारणों से अन्य धर्ममतों में प्रविष्ट हुए हैं । अपनी इस पूर्वपरम्परा का स्मरण रखकर स्वदेश भारत, वैसे ही उसकी जीवनपरंपरा का अभिमान उन्होंने में, में रखना चाहिए । देशबाह्य निष्ठा या भक्ति नहीं रखनी चाहिए । अपने धर्ममत के अनुसार धर्मस्थान देश के बाहर होगा तो धर्ममत एक सीमित योग्य

आदरभाव ऐसे धर्मस्थान के बारे में रखना चाहिए । ऐसे धर्म स्थान छोड़कर बाकी देशबाह्य निष्ठा नहीं रखनी चाहिए । इस तरह विद्यमान उपासना-पद्धति में परिवर्तन न करते हुए भी हिन्दू राष्ट्र में उन्होंने (अहिन्दुओं ने) गौरव तथा समानता का स्थान सहजतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए । उनको कनिष्ठ मानना असंभव है, क्योंकि हिन्दु तत्वज्ञान के अनुसार ईश्वर की उपासना के सभी मार्ग आदरणीय हैं ।”

२० अगस्त, १९७१ को नई दिल्ली के डॉ. संकटा प्रसाद को श्रीगुरुजी ने लिखा.....

“आपके मित्र श्री हाफिज मोहम्मद अताउल्ला खां अतारहमानी जी “जनमार्ग” नामक साप्ताहिक निकालने वाले हैं और उससे इस्लाम का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस्लाम मतानुयायियों में जो भ्रान्तिपूर्ण धारणाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करने वाले हैं, यह योग्य ही है । किन्तु कितने इस्लाम मतानुयायी हिन्दी साप्ताहिक पढ़ेंगे और उनको अपनी गलत धारणाएं दूर करने का अवसर मिलेगा, यह प्रश्न ही है । यह साप्ताहिक उर्दू भाषा में होता तो मुसलमान उसे पढ़ सकते और उनको वह पंसद आता । किन्तु गैरमुस्लिम समाज को इस्लाम की शिक्षा देने की दृष्टि से, इस्लाम के सिद्धांतों की आधुनिक परिभाषा (वर्तमान स्थिति में) का महत्व है यह सिद्ध कर उसका प्रचार करने के लिए इस साप्ताहिक का उपयोग हो सकेगा । भारत में इस्लाम के प्रचार का यह एक साधन बनेगा और इस्लाम के प्रचार में रुचि रखने वालों में यह लोकप्रिय हो जाएगा ।

ईशकृपा से उनका साप्ताहिक यशस्वितापूर्वक चले ।”

१० अप्रैल, १९६६ को पुणे के श्री विजयराव वाडेकर को श्री गुरुजी ने लिखा:—

“आप श्री साई महाराज के भक्त हैं यह उत्तम बात है आध्यात्मिक क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि नामों का महत्व नहीं, ऐसा श्रेष्ठ लोगों का मत है । जहां मन को शांति मिलेगी, विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी, मन संतुलित होगा, निर्लिप्तापूर्वक, स्वार्थरहित होकर जीवनमात्र में ईश्वर के निवास का अनुभव कर, कर्तव्य करने की अखंड प्रेरणा प्राप्त होगी वहां श्रद्धा रखते हुए अपनी सच्ची उन्नति करना यही योग्य है, .... ।

ये सब बातें आपको श्री साई महाराज पर निष्ठा रखने से प्राप्त हो रही हैं तो वह भक्ति अतीव उचित है । स्वधर्म, आपने जिस धर्म में जन्म लिया है और जिसको आजकल हिन्दू धर्म की संज्ञा देने की प्रथा रूढ़ हुई है, उस पर की निष्ठा तथा उसकी परिपालनरूप सेवा करने में इस तरह की साई भक्ति के कारण बाधा न आते हुए सहायता ही होगी । स्वधर्म के साथ प्रतारणा करने की सलाह कोई भी जातिवंत साक्षात्कारी महापुरुष नहीं देता । स्वधर्म का उत्तम रीति से पालन करने की वह प्रेरणा देता है । अतः आपके मन को इस कल्पना ने स्पर्श भी नहीं करना चाहिए कि श्री साई महाराज की भक्ति करने से आप हिन्दू धर्मनिष्ठ नहीं रहते ।”

श्री एम.एम. करी. सिद्धेश्वर को ५ नवम्बर, १९५३ को लिखे पत्र में श्री गुरुजी कहते हैं,

“धर्म का आशय ठीक ढंग से समझ लिया और उसको आचरण में लाया तो नानाविध धर्ममतों, पंथ, संप्रदायों में सहयोगिता की भावना निर्माण करने में वह (यानि धर्म) जितना पोषक सिद्ध होगा, उतना अभी का इहवाद (सेक्युलरिज्म), इसका जो अर्थ नेता लोग तथा अनुयायी या शासन तथा जनता लगा रहे हैं तदनुसार, कभी भी पोषक सिद्ध होना संभव नहीं, वह लोगों के सामने रखने की आपकी कल्पना बहुत अच्छी है।”

१० सितम्बर, १९६९ को “विश्व बौद्ध परिषद” के अध्यक्ष श्री ऊ छान तुन, (रंगून) को श्री गुरुजी लिखते हैं, “अपनी भेंट हो और सनातन धर्म के प्रसार तथा पालन के लिए योजना बनाई जाए ऐसी मैं अखिल विश्व की भाग्यनियंता ईश्वरी सत्ता को प्रार्थना करता हूँ” ।

अन्य एक पत्र में लिखा है कि, “महाकवि अकबर इलाहाबादी जी विषयक दोनों पत्रक प्राप्त हुए। उर्दू समझना मेरे लिए कुछ कठिन है, तो भी उनके काव्य में आधुनिक वायुमंडल से सुसंगत देशभक्ति की प्रबल भावना विद्यमान है, ऐसा स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है” ।

श्री शंकर राव तत्ववादी को २९ अगस्त, १९६३ को लिखा—

“विद्यमान शृंगेरी मठ के आचार्य के गुरु श्रीमत् चंद्रशेखर भारती स्वामी के पास एक अमेरिकन सज्जन आये थे और हिन्दू धर्म की दीक्षा प्राप्त हो इस हेतु प्रार्थना करने लगे थे। श्रीमत् आचार्य ने उनसे प्रश्न किया “तो ईसाई धर्ममत में क्या न्यून है, उसके अनुसार उपासना क्यों नहीं हो रही”? उसने कहा, “उस उपासना में मन को शांति प्राप्त नहीं हुई” । श्रीमत् आचार्य ने कहा, “आपने प्रामाणिकतापूर्वक, मनःपूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से उपासना की क्या, उसने सोच कर उत्तर दिया “नहीं।” इस पर श्रीमत् आचार्य ने उसको बताया कि “आप श्रद्धायुक्त अतंकरण से ख्रिस्त पर विश्वास रखकर, प्रामाणिकता से उस मत के अनुसार प्रभुभक्ति कीजिए। पर्याप्त दिन तक ऐसा करते रहने पर भी यदि मन अशांत या असमाधानी रहता है, तो वह उपासना आपके पूर्वजन्म से प्राप्त प्रकृति से सुसंगत नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। और ऐसा हुआ तो फिर यहां आओगे तो मार्ग बताया जाएगा।” इस उदाहरण का अर्थ स्पष्ट है—अपनी मूल, जन्म से प्राप्त, निष्ठा दृढ़ करना यह इष्ट, इसलिए उसकी ख्रिस्तनिष्ठा प्रबल करने का प्रयत्न श्रीमत् आचार्य ने किया। अपने धर्म की यह व्यापक संग्राहक दृष्टि है।

श्री प्रभुलाल, रंगून, को १० नवम्बर, १९५५ के पत्र में श्री गुरुजी लिखते हैं—

“बौद्ध संप्रदाय अपने ही धर्म का एक अंग है। वेद प्रामाण्य न मानने के कारण उनका भारतीयत्व नष्ट नहीं होता। वेद न मानने वाले, किन्तु विशाल हिन्दू धर्म का सात्त्विक भाव लेकर निराकार की या शून्य की उपासना करने वाले संप्रदाय यहां है ही। वैसा ही बौद्धमत है।”

सम्पूर्ण जीवन “हिन्दू” शब्द से घृणा रखने वाले पं० जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के संध्याकाल में Norman Cousins के Talks with Nehru में कहते हैं :—

“हिन्दू तत्वज्ञान, धर्म और लोकतंत्र में विसंगति नहीं है। हिन्दू धर्म के उदर में एक तेजस्वी

विश्ववाद है । हिन्दू धर्म किसी भी परिवर्तन से मेल जमा सकता है । भिन्न-भिन्न तथा परस्परविरोधी विचारों का समावेश कर सके इतना हिन्दू धर्म विशाल है । लोगों का सर्वसाधारण कल्याण जिनमें दृष्टिगोचर होगा ऐसे नये स्थित्यंतर करने में यह भारत का धर्म पीछे नहीं रहेगा । इसके पूर्व हिन्दू धर्म ने बड़े-बड़े स्थित्यंतर हजम किए हैं ।

### मुस्लिम और श्री गुरुजी

दक्षिण के मदुराई के लोगों ने मुसलमानों के विषय में श्री गुरुजी का दृष्टिकोण क्या है, यह जानने की इच्छा व्यक्त की । श्री गुरुजी ने कहा, “हम सबके पूर्वज एक ही हैं और हम सब उनके वंशज हैं, यह बात हमने सदैव ध्यान में रखनी चाहिए । आप अपने-अपने धर्म का प्रामाणिकतापूर्वक पालन कीजिए, किन्तु राष्ट्र के संदर्भ में हम सबने एक रहना चाहिए ।”

अलीगढ़ के एक कश्मीरी सूफी के साथ वार्ता करते समय श्री गुरुजी ने बताया, “हर एक ने अपने-अपने धर्म का पालन करना चाहिए । एक सर्व सारभूत तत्वज्ञान ऐसा है कि जो केवल हिन्दुओं का भी नहीं और केवल मुसलमानों का भी नहीं, आप उसे अद्वैत कहिए या और कुछ । वह तत्वज्ञान बताता है कि एकमेवाद्वितीय ऐसी एक शक्ति है, वही सत्य है, वही आनन्द है, वही सर्जक, रक्षक तथा संहारक है । अंतिम सत्य का यह मूलभूत स्वरूप हम सबको एकत्रित ला सकता है । वह किसी भी एक पंथ का नहीं है । इस कारण वह सभी के लिए स्वीकार्य है । कोई भी पंथ आखिर उपासना का एक विशिष्ट मार्ग है । इस्लाम, ईसाई और हिन्दू सबका परमेश्वर एक ही है और हम सब उसके भक्त हैं, इस सत्य को आप स्वाकार क्यों नहीं करते ? एक सूफी के नाते तो आपने इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए ।”

डॉ. सैफुद्दीन जिलानी से हुई वार्ता सुप्रसिद्ध है । डॉ. जिलानी मूलतः ईरान के थे । कई वर्षों तक भारत में ही स्थायी रूप से रहे । इस्लामी तत्वज्ञान तथा तुलनात्मक तत्वज्ञानों का उनका अध्ययन गहन था । उन्होंने श्री गुरुजी से विस्तृत बातचीत की । उसके कुछ अंश नमूने के तौर पर, इस प्रकार हैं —

### श्री गुरुजी

“पाकिस्तान ने पाणिनी की पांच हजारवी जयन्ती मनाई । कारण क्या ? तो आज जो भूभाग “पाकिस्तान” नाम से पहचाना जाता है, वहां पाणिनी का जन्म हुआ था । यदि पाकिस्तानी लोग “पाणिनी हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों से से एक था” ऐसा गर्व के साथ कहते हैं, तो फिर भारत के अपने “हिन्दू-मुसलमान” भी—मैं उनको “हिन्दू-मुसलमान” कहता हूं—पाणिनी, व्यास, बाल्मीक, राम, कृष्ण सब अपने ही श्रेष्ठ पूर्वज हैं ऐसा अभिमानपूर्वक क्यों नहीं कहते ?

हिन्दुओं में भी ऐसे अनेक लोग हैं कि जो राम, कृष्ण आदि को ईश्वर का अवतार नहीं मानते। किन्तु तो भी वे उनको श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, अनुकरणीय मानते हैं। इसलिए मुसलमानों ने उनको "अवतारी पुरुष" नहीं माना तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है। किन्तु क्या मुसलमानों ने उनको अपना राष्ट्र-पुरुष भी नहीं मानना चाहिए। हमारे धर्म और तत्वज्ञान की शिक्षा के अनुसार हिन्दु और मुसलमान दोनों समान ही हैं। ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार केवल हिन्दू ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। अपने-अपने धर्ममत के अनुसार आचरण करते हुए कोई भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है।

"हिन्दुओं और मुसलमानों ने परस्पर के त्यौहारों में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। समाज के सभी स्तरों के लोगों को अतीव उल्लास के वायुमंडल में एकत्रित लाने वाला होलिकोत्सव है। मानो, इस होलिकोत्सव में एकाध मुस्लिम बंधु के बदन पर किसी ने थोड़ा रंग उड़ाया तो क्या उतने से कुरान की सब आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है? इस बात की ओर उन्होंने एक सामाजिक व्यवहार इस नाते देखना चाहिए। आप मेरे ऊपर रंग डालिए, मैं आपके ऊपर रंग डालता हूँ। हमारे लोग तो कई वर्षों से मोहरम के सभी कार्यक्रमों तथा जलूसों में सहभागी होते आए हैं। इतना ही नहीं, अजमेर उर्स जैसे अन्य त्यौहारों में भी मुसलमानों की बराबरी से हमारे लोग भी उत्साह में भाग लेते हैं। किन्तु यदि कल हमने कुछ मुस्लिमों बंधुओं को हमारी सत्य-नारायण पूजा में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, तो क्या होगा ?

प्रश्न : हिन्दू और मुसलमानों में सामञ्जस्य स्थापित करने की दृष्टि से नेतृत्व करने के लिए कौन योग्य है ? राजनीतिज्ञ, शिक्षातज्ञ या मजहबी नेता ?

उत्तर : इस विषय की दृष्टि से राजनीतिज्ञ सबसे आखिरी में आता है। मजहबी नेताओं के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। आज हमारे देश में अति संकीर्ण मनोवृत्ति के मजहबी नेता दोनों समुदायों में हैं। इस काम के लिए हमें बिल्कुल तीसरे प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। जो लोग धार्मिक है, किन्तु राजनीतिक नहीं और समग्र राष्ट्र का विचार जिनके मन में सदैव जागृत रहता है, ऐसे लोगों की इस काम के लिए हमें आवश्यकता है। धार्मिक पृष्ठभूमि के बिना कुछ भी साध्य नहीं होगा। धार्मिकता तो होनी ही चाहिए।

प्रश्न : परस्पर सामञ्जस्य निर्माण होने की दृष्टि से दोनों समुदायों ने तुरन्त हाथ में लेने योग्य उपक्रम ?

उत्तर : ऐसा कुछ एकदम बताना बहुत कठिन है, किन्तु हम देखें, धर्म के यथार्थ उपदेशों की शिक्षा व्यापक पैमाने पर देना एक उपक्रम हो सकता है; किन्तु आज के जैसे हमारे राजनेताओं द्वारा पुरस्कृत निधार्मिक शिक्षा नहीं, तो वास्तविक धार्मिक शिक्षा।

लोगों को इस्लाम का ज्ञान करो तो वैसे ही हिन्दू धर्म का भी ज्ञान प्रदान करो । सभी धर्म मानव को महान, पवित्र तथा मंगल बनने के लिए बताते हैं, यह लोगों को सिखाएं ।

प्रश्न : “भारतीयकरण” के विषय में ?

उत्तर : “भारतीयकरण” की घोषणा जनसंघ ने की है । किन्तु इस विषय में संप्रम पैदा क्यों होना चाहिए ? भारतीयकरण का मतलब सभी को हिन्दू बनाना नहीं है । हम सब इसी भूमि की संतान हैं, यह सत्य हम सभी ने समझ लेना चाहिए और इस सत्य पर अविचल निष्ठा रखनी चाहिए । हम सब एक ही मानव समूह के हैं, हम सबके पूर्वज एक ही थे और इस कारण हम सबकी आकांक्षाएं भी एक ही हैं, यह हमने समझ लेना चाहिए । यह भारतीयकरण का सही अर्थ है ।

भारतीयकरण का अर्थ यह नहीं है कि किसी ने अपनी पूजा-पद्धति का त्याग करना चाहिए । हमने ऐसा कभी भी कहा नहीं है, कभी भी कहेंगे नहीं । हमारी श्रद्धा है कि एक ही उपासना पद्धति सम्पूर्ण मानवजाति के लिए सुविधाजनक नहीं है ।

प्रश्न : अपने देश में साम्प्रदायिक विसंवाद नष्ट करने की दृष्टि से उपायों की खोज करने के लिए आपके साथ सहयोग करेंगे ऐसे मुस्लिम नेताओं और आपकी बैठक हो ऐसा समय अब आया है, ऐसा आपको नहीं लगता क्या ? ऐसे नेताओं से भेंट करना, आप पसंद करेंगे क्या ?

उत्तर : केवल पसंद करूंगा इतना ही नहीं, मैं ऐसी भेंट का स्वागत करूंगा ।

बात-चीत के पश्चात् डॉ. जिलानी ने कहा—“मेरा ऐसा निश्चित मत हो गया है कि हिन्दु-मुसलमान प्रश्न के विषय में अधिकारवाणी से यथोचित मार्गदर्शन यदि कोई कर सकता है तो वह श्री गुरुजी ही हैं ।”

यह सभी के स्मरण में है कि आपातकाल में यरवडा कारागार में संघ के परमपूजनीय सरसंघचालक श्री बालासाहेब देवरस तथा उनके सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित होने के फलस्वरूप जमाते इस्लामी के लोगों के मन में संघ के परमपूजनीय सरसंघचालक जी तथा स्वयंसेवकों के विषय में —निरपेक्ष, स्वाभाविक प्रेम के कारण—किस तरह आत्मीयता का भाव निर्माण हुआ था ।

**सर्वेषाम् अविरोधेन्**

हिन्दू राष्ट्र को मानने वालों के लिए यह संतोष की बात है कि पूज्य डॉक्टर जी या पूज्य गुरुजी द्वारा प्रतिपादित हिन्दूराष्ट्र का अब तक किसी ने भी विरोध नहीं किया है और जिस हिन्दू राष्ट्र संकल्पना का विरोध किया जा रहा है वह इन दोनों को अभिप्रेत नहीं थी ।

विरोधी यह प्रण कर रहे हैं कि वे हिन्दूराष्ट्र की स्थापना नहीं होने देंगे । यह प्रण पूरा करना किसी के भी लिए संभव है क्या ? क्योंकि इस राष्ट्र का निर्माण तो पहले ही हो चुका है । प्रारम्भ में अथर्ववेद का जो उद्धरण प्रस्तुत किया है वह यहां उल्लेखनीय है । ऋषियों ने प्रारम्भिक काल में जो तप किया उससे राष्ट्र के बल का तथा ओज का निर्माण हुआ । इतिहास ने जब आंखे खोली तब उसने हमें "राष्ट्र" के रूप में ही देखा । यह राष्ट्र प्राक्-ऋग्वेद काल से चलता आया है । इसका अब निर्माण कैसे हो सकता है । पूज्य डॉ. हेडगेवारजी को कुछ लोग हिन्दूराष्ट्र का जनक मानते हैं । यह गलत और बाह्य वायुमंडल के प्रभाव का परिचायक है । डॉ. हेडगेवार हिन्दूराष्ट्र के निर्माता नहीं थे । वे उसका ज्ञापक कारण थे । ज्ञापक कारण का मतलब है कि मानो किसी कमरे में पहले से ही कुर्सी-मेज रखी हुई है, किन्तु कमरे में घना अंधेरा होने के कारण कोई भी देख नहीं सकता । किसी को भी यह पता नहीं चल सकता कि कमरे में कुर्सी-मेज है । किन्तु यदि "स्विच ऑन" किया गया तो वहां का विद्युत दीप प्रज्वलित हो जाएगा और उसके प्रकाश के कारण कुर्सी-मेज का अस्तित्व देखने वालों के ध्यान में आएगा । इसका मतलब यह नहीं कि विद्युतदीप ने उनका निर्माण किया है । वे तो पहले से ही कमरे में विद्यमान थे । अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देते थे । विद्युतदीप ने अंधेरा दूर किया और कुर्सी-मेज दिखाई पड़ने लगे । वैसे ही हिन्दूराष्ट्र का अस्तित्व प्राक्ऋग्वेद काल से ही चलता आया है । आत्मविस्मृति तथा राजनीतिक सुविधावाद के अंधकार के कारण उसको देखना सामान्यजनों के लिए असंभव हो गया था । पूज्य डॉक्टर जी ने केवल "ज्ञापक कारण" की विद्युतदीप की भूमिका का निर्वाह किया । हिन्दूराष्ट्र सनातन सत्य है । उसकी स्थापना की बात हास्यास्पद तथा अप्रासंगिक (irrelevant) है, चाहे ऐसी बात करने वाले हिन्दूराष्ट्र के विरोधक हो या समर्थक ।

"We or our Nationhood Defined" की भूमिका में श्री गुरुजी ने यह स्पष्ट किया था कि उनका विवेचन "राष्ट्र" विषयक है, राज्य विषयक नहीं । "राष्ट्र" और "राज्य" दो अलग-अलग संकल्पना हैं । उन्होंने यहां तक कहा था कि "राज्य संकल्पना के विषय में कुछ अभिप्राय प्रकट करना हो तो वे उस विषय में अलग से लेखन करेंगे, किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ "राष्ट्र" विषयक ही है, "राज्य" विषयक नहीं ।

यह दो भिन्न संकल्पनाएं हैं । "राष्ट्र" शरीर है "राज्य" उसका वस्त्र । हमारा राष्ट्र सनातन है, किन्तु हमारे राष्ट्र में "राज्य" संस्था का निर्माण बहुत देर के बाद हुआ, जिसका विवेचन महाभारत के शांतिपर्व में युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामाह ने किया है । "राष्ट्र" और "राज्य" संकल्पनाओं में कितना महदन्तर है इसका विवेचन श्री आरविन्द के 'The Ideal of Human Unity' के चतुर्थ अध्याय (The Inadequacy of the State Idea) में पाया जाता है ।

आज वास्तविक "हिन्दूराष्ट्र" की संकल्पना का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है । विरोधक "हिन्दू राज्य" का निषेध कर रहे हैं । "राष्ट्र" और "राज्य" में क्या अन्तर है यह न जानने के कारण वे जिस संकल्पना का विरोध कर रहे हैं, वह राष्ट्रभक्त हिन्दुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों, को अभिप्रेत नहीं है ।

डॉन क्विक्जोट के संबंध में आता है कि पवनचक्की को राक्षस मानकर वह एक चक्की पर ही टूट पड़ा । हमारे राजनेता तथा बुद्धि के ठेकेदार डॉन क्विक्जोट के ही उत्तराधिकारी हैं ।

किन्तु भारत में ही नहीं, अपितु पूरे संसार में वैचारिक संभ्रम को समाप्त करने की दृष्टि से—विविध संकल्पनाओं की सुस्पष्टता की दृष्टि से—निर्माण होने वाला असली, मूलभूत प्रश्न इससे कई गुना अधिक गहराई तक पहुंचने वाला है ।

### समूहगत अस्मिता

समूहगत अस्मिता का आविष्कार विभिन्न स्तरों पर विभिन्न ईकाइयों के रूप से होता है, यथा परिवार, गोत्र, जनजाति, व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक संघ, समाज (राष्ट्र) मानवता, विश्व आदि । \*

\* \* \* \* \*

\* अथर्व वेद के अनुसार सर्वप्रथम परिवार संस्था का निर्माण हुआ । सा उदक्रामत्-सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्” (अथर्व ८/१०/२) । इसका अर्थ यह है कि विराट स्थिति से उत्क्रांति हुई गार्हपत्य स्थिति में । अर्थात् विवाह संस्था तथा परिवार संस्था का निर्माण हुआ, तो पहले “गृहपति” का निर्माण । उत्क्रांति की अगली अवस्था भी अथर्व में है । “सा उदक्रामत्-सा आहवनीयेन्यक्रामत्” । उस संस्था की उत्क्रांति आहवनीय संस्था में हुई, जहां एक ही क्षेत्र में रहने वाले सब परिवारों के लोग एकत्रित आकर सामूहिक कार्य, यज्ञ आदि करने लगे तथा एकत्रित विचार-विमर्श करने लगे । इससे अगली अवस्था सभा की थी, जिसके मेंबर को सभ्य कहा जाता था । सा उदक्रामत्-“सा सभायां न्यक्रामत् । यान्ति अस्य सभां सभ्यो भवति ।” इस तरह स्थान-स्थान पर ग्राम सभाओं का निर्माण हुआ । उसकी उत्क्रान्ति राष्ट्र समितियों में हुई । जो राष्ट्र समिति का सदस्य था उसे “सामित्य” यह संज्ञा थी— “सा उदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् । यान्ति अस्य समिति सामित्यो भवति ।” जो राष्ट्र समिति रहती थी उसकी उत्क्रांति आमंत्रण परिषद में हुई । मंत्रिमंडल का निर्माण उसमें से हुआ । जिसके सदस्यों को “आमंत्रणीय” संज्ञा दी गई थी । “सा उदक्रामत् सा मंत्रणे न्यक्रामत् ।” शासक प्रणालियों का हमारे यहां इस अवस्था के पश्चात् निर्माण हुआ ।

प्रारंभिक विश्रंखल अवस्था में से राष्ट्र निर्माण का यह कार्य महर्षियों ने किया ।

“दण्डा इवेद् गो अत्रनास आसन्

परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः

अभवच्च पुरेता वसिष्ठ

आदित् तृत्सूनां विशों अप्रथन्त ॥ (ऋग्वेद ७-३३-६)

गायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लाठियां जिस तरह निर्बल तथा

पृथक-पृथक हुआ करती हैं, वैसे ही निर्बल तथा पृथक-पृथक लोग शिशुवत तथा परिच्छिन्न थे। किन्तु उनका नेता ऋषि वशिष्ठ हुआ, तब यही भारत के लोग प्रख्यात तथा समृद्ध हुए। राष्ट्र के नाते यशस्वी हुए। राष्ट्र निर्माण का आधार मातृभूमि रही। ऋषियों की प्रार्थना थी :—

“सा नो भूमिः त्विषिं बलं राष्ट्रे दयातूत्तमे” (अथर्व १२-१-८)

यह हमारी मातृभूमि हमारे इस राष्ट्र में तेज तथा बल को धारण कर उसे बढ़ाएं।  
मातृभूमि की धारणा की दृष्टि से ऋषि कहते हैं—

“सत्यं बृहद् ऋतं उग्रं दीक्षा प्रणो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भवयस्य पत्नी उरू लोकं पृथिवीं नः कृणोतु ।

(अथर्व १२-१-१)

सत्य, ऋतु, उग्रत्व, दाक्षिण्य, तप, ब्रह्म, और यज्ञ मातृभूमि की धारणा करते रहते हैं। यह हमारी मातृभूमि हमारे भूत-भविष्य का आधार है, यह हमें हमारे देश में विस्तृत कार्य-क्षेत्र प्रदान करे।\*

\* \* \* \* \*

समूहगत अस्मिता का प्रवास पश्चिम और भारत में एक ही प्रकार का होता रहा है क्या ?

वैसे तो “नेशन” को पश्चिमी विचारक भी एक सुस्पष्ट, सुनिश्चित, सुस्थिर संकल्पना नहीं मानते। उसके कई प्रकार हैं और हर एक प्रकार के लिए स्वतंत्र शब्द या संज्ञा प्रदान करना ही शास्त्रशुद्ध पद्धति है; किन्तु चर्चा की सुविधा के लिए ऐसा मान भी लिया कि “नेशन” नाम की संकल्पना सुनिश्चित है तो भी एक प्रश्न उपस्थित होता है वह प्रश्न केवल “नेशन” के ही बारे में नहीं तो सभी स्तरों की विभिन्न इकाइयों के बारे में—व्यष्टि से परमेष्ठि तक भी उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में हम “नेशन” की चर्चा करेंगे। वैसे यही प्रश्न सभी इकाइयों के बारे में समान रूप से लागू होता है।

पश्चिमी वैश्विक दर्शन में “नेशन” का स्थान और पश्चिमी मनोरचना में “नेशनलिज्म” का महत्व और हिन्दू वैश्विक दर्शन में “राष्ट्र” का स्थान और हिन्दू मनोरचना में “राष्ट्रीयता” का महत्व दोनों को एकरूप या समान माना जा सकता है क्या ?

भारतीय दर्शन की मौलिक धारणाओं और अभारतीय चिन्तकों के विचारों में कुछ मौलिक अन्तर है। पश्चिम में सभी इकाइयों और संकल्पनाओं का विचार पृथक-पृथक (in compartments) ढंग से टुकड़ों-टुकड़ों में किया जाता है। व्यक्ति का व्यक्ति के नाते, परिवार का परिवार के नाते, समाज का समाज के नाते, मानवता का मानवता के नाते उनके विचार में

सम्रगता का अभाव रहता है । व्यक्ति का विचार करते समय वे अन्य इकाइयों को आंखों से ओझल कर देते हैं । इसी तरह परिवार, राष्ट्र और मानवता का विचार करते समय विचाराधीन इकाई को छोड़कर अन्य इकाइयां या तो विस्मृत हो जाती हैं, या अति गोण । एक-एक इकाई का पृथक-पृथक विचार करना पाश्चात्य प्रकृति है । समझने की सुविधा की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि बीच में एक बिन्दु है जो व्यक्ति है । उसको आवृत करने वाला उससे बड़ा वृत्त परिवार का है । उसको आवृत करने वाला किन्तु पिछले वृत्त से असंबद्ध दूसरा बड़ा वृत्त है समुदाय । उसको आवृत करने वाला किन्तु उससे असंबद्ध उससे बड़ा वृत्त राष्ट्र का है । उसको आवृत करने वाला किन्तु बड़ा वृत्त है मानवता का । यहां तक ये पहुंच गए हैं ।

पश्चिम की यह सारी रचना संकेंद्रित (concentric) है । इसमें व्यक्ति केन्द्र बिन्दु है । उससे सातत्य का जैविक (organic) संबंध न रखते हुए और एक दूसरे से भिन्न, अन्य वृत्त परिवार, समुदाय, राष्ट्र, मानवता आदि के हैं । ये एक दूसरे को आवृत अवश्य करते हैं; पर एक दूसरे के विलग हैं । वे एक दूसरे से निर्गमित नहीं होते । इस रचना को संकेन्द्री (concentric) कहा जाता है ।

सनातन काल से हमारी सम्पूर्ण रचना कुंडलित, सर्पित या उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली (spiral) अखंड मंडलाकार रही है ” । इसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है और व्यक्ति को लेकर व्यक्ति से संबंध न तोड़ते हुए, उससे संबंध कायम रखते हुए, अगला वृत्त परिवार का है । उससे संबंध विच्छेद न करते हुए, उससे संबद्धता रखते हुए उससे बड़ा वृत्त समाज का है । उससे सम्बद्धता सूत्र अविच्छिन्न रखते हुए, उससे सम्बद्ध अगला वृत्त राष्ट्र का है । यही सम्बद्धता निरन्तर रखते हुए राष्ट्र के ऊपर मानवता का वृत्त है और इसी प्रक्रिया में से चरम शिखर पर चराचर विश्व का वृत्त है, जिसके ऊपर अखिल ब्रह्मांड है । यह सर्पिल (कुंडली) अखण्ड मंडलाकार (spiral) की रचना है ।

दोनों रचनाओं में क्या भेद है, उसका विस्तृत विश्लेषण पंडित दीन दयालजी ने, सनातन धर्म के आधुनिक प्रवक्ता के नाते, किया है ।

अखंडमंडलाकार रचना में पहली इकाई से दूसरी इकाई निकलती है, दूसरी से तीसरी और इस तरह यह क्रम चलता रहता है । उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली अखंडमंडलाकार (spiral) रचना के कारण इन इकाइयों के हितों में परस्पर विरोध नहीं है । व्यक्ति और परिवार के हित में विरोध नहीं है । परिवार और समुदाय के हित में विरोध नहीं है । समुदाय और राष्ट्र, राष्ट्र और मानवता के हित में विरोध नहीं है । विभिन्न इकाइयां एक दूसरे की विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक हैं । उदाहरणार्थ, बालक जब छोटा होता है, वह कुछ भी नहीं जानता । उस अवस्था में उसके लिए एक ही इकाई है— “अहम्” मैं हूं । वह थोड़ा बड़ा होता है । माता पिता, भाई, बहन को पहचानता है, उनके साथ वह आत्मीयता का अनुभव करता है तो उसके लिए परिवार एक इकाई बन जाती है । पर वह अपने “अहम्” का निषेध नहीं करता ।

वह सोचता है कि "मैं भी सत्य हूँ, परिवार भी सत्य है, वह और बड़ा होता है और गुणकर्म का विकास करता है। समान गुणकर्म रखने वाले लोगों के साथ समुदाय स्थापित करता है। पहली इकाइयों का निषेध न करते हुए उस समुदाय (Community) के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। इसी विकास क्रम में समुदाय आदि का निषेध न करते हुए सोचता है कि केवल समुदाय नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र मेरा है। फिर उसकी चेतना का इससे भी अधिक विकास होता है तो वह सम्पूर्ण मानवता के साथ एकात्मता का अनुभव करता है और चेतना के विकास की अन्तिम अवस्था में उसी अखंडमंडलाकार प्रगति की अगली अवस्था के नाते वह सम्पूर्ण चराचर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। 'All is one' का साक्षात्कार करता है, और "स्वदेशो भुवनत्रयम्" के नाते विश्व नागरिक ही नहीं, अपितु विश्वात्मा के साथ एकात्म हो जाता है। बचपन के "अहम्" से लेकर सन्यासी जीवन की चरमोत्कर्ष अवस्था तक का जो सुदीर्घ चेतना प्रवास है उसमें जैसे जैसे आत्मचेतना बड़ी होती जाती है, वैसे-वैसे उसके लिए, पुरानी पहली "इकाइयाँ" सब तरह से सत्य होते हुए भी उसको नई-बड़ी इकाई के सत्य का साक्षात्कार होता जाता है। अन्तिम साक्षात्कार "सर्वम् खुलु इदम् ब्रह्म" का है। ये सभी इकाइयाँ सत्य हैं। हमारी आत्मचेतना का जैसे-जैसे विस्तार होगा वैसे-वैसे हमारे साक्षात्कार का विकास होगा। सभी सत्य है, इस कारण एक दूसरे का निषेध नहीं है। जैसे बीज में अंकुर, अंकुर से पौधा, उसी क्रम से शाखाएं, पल्लव, फूल और फल यह विकास के क्रम हैं। बीज और अंकुर में विरोध नहीं है, अंकुर और पौधे या वृक्ष में विरोध नहीं है। सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक एकात्मता (Integration) है। सभी अपने-अपने दायरे में सत्य हैं। कोई इकाई दूसरे की विरोधी नहीं है। यह आत्मचेतना का अखंडमंडलाकार विकास है। यह हिन्दू-पद्धति की विशेषता है। पश्चिम की संकेन्द्रिक (concentric) रचना में इसका पूर्ण अभाव है।

दोनों दर्शनों में यह मौलिक अंतर है। हिन्दू दर्शन की इस प्रकृति के कारण "हिन्दू" शब्द जितना राष्ट्रीय स्तर का है उतना ही अंतराष्ट्रीय स्तर का भी है, और उतना ही वैश्विक स्तर का भी है। यह बात समझना 'प्रगतिशील' लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनकी भी मान्यता, उनके पश्चिमी मानसपिताओं के समान संकेन्द्रिक (concentric) पद्धति की ही है। वे यह कल्पना नहीं कर सकते कि हर एक पूर्ण विकसित सन्यासी भारतीय तो रहता है, किन्तु केवल भारतीय नहीं रहता। हमारी संस्कृति की अपेक्षा है कि हर एक व्यक्ति को चेतना का विकास स्वयं से उत्क्रमित होते हुए अनंतकोटि ब्रह्मांड का समावेश करने वाली हो, चेतना विकास-क्रम की अन्तिम अवस्थाओं में वह जगत का नागरिक (World citizen) और इसके आगे ब्रह्मांड नागरिक (Citizen of the Universe) बने।

किसी भी समूहगत अस्मिता का जो स्थान पश्चिमी दर्शन में हो सकता है वह हिन्दू वैश्विक दर्शन में नहीं हो सकता। किसी भी समूहगत संकल्पना का जो महत्व पश्चिमी मनोरचना में हो सकता है वह हिन्दू मनोरचना में नहीं हो सकता। इस कारण पश्चिम की किसी भी संस्था की

तुलना (जिसमें "नेशन" भी है) इधर की किसी भी संस्था के साथ (जिसमें "राष्ट्र भी है) करना अनुपयुक्त है । इसी प्रकार पश्चिम की किसी भी संकल्पना की तुलना (जिसमें "नेशनलिज्म" भी है ) इधर की किसी भी संकल्पना के साथ (जिसमें "राष्ट्रीयता" भी है) करना अनुचित है ।

इस विषय में रूचि रखने वाले सभी प्रामाणिक विचारकों को अलविन टॉफ़लर का यह विचार ध्यान में रखना चाहिए कि '.....The right question is usually more important than the right answer to the wrong question'. \*

\* \* \* \* \*

\* दर्शन का गहरा असर सामाजिक व्यवहार पर तो होता ही है, किन्तु दार्शनिक की मानसिकता पर भी होता है । उदाहरण के नाते विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दार्शनिक का निम्नलिखित स्वाभाविक व्यवहार देखिए ।

५ अप्रैल, १९५२ को क्रेमलिन में स्टालिन से बात करते समय डॉ. राधाकृष्णन ने स्टालिन के गाल थपथपाये और कहा : "अब तक आप युद्ध के महान नेता साबित हो चुके हैं । अब इसके बाद आप शांति के महान नेता साबित होंगे क्या ? जैसे कलिंग विजय के पश्चात् अशोक शांति के नेता बने थे ।" स्टालिन ने उत्तर दिया "मैं कुछ समय तक एक ईसाई मठ में था । चमत्कार तो हो ही सकते हैं" ।

१८ दिसम्बर, १९५७ को डॉ. राधाकृष्णन ने पेकिंग में बातचीत के दौरान माओ झेडॉंग का गाल थपथपाया । वहां उपस्थित अन्य सज्जन हक्केबक्के रह गए । राधाकृष्णन ने कहा— "घबराइये नहीं, मैंने स्टालिन और पोप के गाल भी थपथपाये हैं ।" \*

### हिन्दूराष्ट्र-संकल्पना

\* हिन्दू राष्ट्र संकल्पना Revivalism है, हम यह नहीं चलने देंगे, प्राचीन परम्पराएं, मान्यताएं, आदि सभी से पूर्णरूपेण रिश्ता तोड़कर हम एकदम नए ढंग का समाज निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसा दावा हमारे प्रगतिशील बन्धु कर रहे हैं । भूतकाल से नाता तोड़कर अभिनव समाज का निर्माण करने की घोषणा करते हैं ।

यह बात सवर्था असंभव है । अब तक श्रेष्ठ क्रांतिकारी भी इस तरह का निर्माण नहीं कर सके। प्राचीन परम्पराओं में जो बातें युगानुकूल नहीं हैं उनका त्याग करना चाहिए, और युगधर्मानुकूल नई बातों को स्वीकार करना चाहिए, किन्तु इस प्रक्रिया में राष्ट्र के जीवनरस का सातत्य कायम रखने की सावधानी सदैव रखनी चाहिए, यह विचार श्री गुरुजी ने रखा है ।

Explaining the process of Reconstruction flowing naturally from the spirit of identity, Shri M.S. Golwalkar, the Sarasanghchalak of the R.S.S.

observes. "Once the life stream of unity begins to flow freely in all the veins of our body-politic, the various limbs of our national life will automatically begin to function actively and harmoniously for the welfare of the nation as a whole. Such a living and growing Society will preserve out of its multitude of old systems and patterns whatever is essential and conducive to its progressive march, throw off those which have outlived their utility and evolve new systems in their place. No one need shed tears at the passing of the old orders nor shirk to welcome the new order of things. That is the nature of all living and growing organisms. As a tree grows, ripe leaves and dry twigs fall of making way for fresh growth. The main thing to bear in mind is to see that the life-sap of oneness permeates all parts of our social set-up. Every system or pattern will live or change or even entirely disappear according as it nourishes that life-sap or not. Hence, it is useless in the present social context to discuss about the future of all such systems. The supreme call of the times is to revive the spirit of inherent unity and the awareness of its life purpose in our Society. All other things will take care of themselves.

\* \* \* \* \*

भारत में सामाजिक सुधार का कार्य प्रारंभ करने वाले मनीषियों में न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडे का स्थान महत्वपूर्ण है । सन् १८२५ में पूना में सम्पन्न हुए नवम् अ. भा. सामाजिक परिषद का मार्गदर्शन करते समय उन्होंने समाजसुधार आन्दोलन के सभी प्रकारों का वर्णन किया तथा हर एक प्रकार के कारण होने वाले लाभ-हानि भी बताया । इस दौरान अपरिनिर्दिष्ट अतिक्रांतिकारी दिखने वाले मार्ग का उल्लेख करते हुए रानडेजी ने उसकी अव्यावहारिकता निम्नलिखित शब्दों में बताई :- "To say that it is possible to build up a new fabric on new lines without any help from the past is to say that I am self-born and my father and grandfather need not have troubled themselves for me."

दूसरी बात यह कि इस तरह की अभूतपूर्व क्रांति की बात तो दूर, सामान्य सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक क्रांति भी वातानुकूलित बंगलों में बैठकर नये विश्व की रचना का आलेख घोषित करने वाले Arm-chair Revolutionaries नहीं कर सकते ।

उनको हम इतना ही कहेंगे कि—

“शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि बालक ।

यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥

तीसरी बात यह कि यह प्रकृति के नियम में ही नहीं बैठता । समष्टि का उत्थान-पतन होता रहता है । किन्तु जैसे के तैसे Revival प्रकृति होने ही नहीं देती । मतलब यह कि— Revival

हो ही नहीं सकता । प्रकृति होने नहीं देती । Revolution हमारी बुद्धि के ठेकेदारों के बस की बात नहीं है । Renaissance हिन्दू प्रणाली है और हिन्दूराष्ट्र समर्थक यह निश्चित रूप से लाने वाले हैं ।

श्री गुरुजी की हिन्दूराष्ट्र संकल्पना में Renaissance अन्तर्निहित है ।

### तृतीय विश्व

'State and Nation Building: A Third world perspective' की प्रस्तावना में श्री रजनी कोठारी कहते हैं कि 'As in many earlier epochs of change, there has existed a large hiatus between objective reality and political theory in the period since 1945.

सनातन सिद्धांत की सत्यता परिस्थितिनिरपेक्ष हुआ करती है, किन्तु परिवर्तित बाह्य परिस्थिति के कारण जनमानस की धारणा में आने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर उसी परिस्थितिनिरपेक्ष सत्यसिद्धांत का विवरण परिस्थितिसापेक्ष ढंग से करना पड़ता है । सत्य वही है, बाह्य परिस्थिति और उससे प्रभावित लोकमानस के अनुकूल विवरण की शैली में कुछ अन्तर आ जाता है ।

We or our Nationhood Defined के लेखक को भी यहीं अनुभव आया । किन्तु उस तरह परिवर्तित अन्तर्बाह्य स्थिति की अनुभूति हमारे देश के नेताओं को नहीं हुई । पाश्चिमात्य विचारों को मानक (standard) मानने की उनकी आदत के अनुसार वे सन् १९४५ के पश्चात् भी पाश्चिमात्य विचारकों से प्रभावित रहे । उन विचारकों ने तृतीय विश्व के सभी देशों को यह बताया कि राष्ट्र निर्माण तथा राज्यनिर्माण की पूर्वभावी शर्त (Pre-condition) उन देशों का आधुनिकीकरण है । यह हुआ तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रनिर्माण तथा राज्यनिर्माण होगा । आधुनिकीकरण के बिना यह सब हो ही नहीं सकता और आधुनिकीकरण याने पश्चिमीकरण । अतः पश्चिमीकरण का अविवेकी समर्थन करने वाले लोग प्रगतिशील और राष्ट्रहितैषी माने गए और उनका विवेक स्वीकार न करने वाले प्रतिगामी, दकियानूसी माने गए । श्री गुरुजी की गणना दूसरी श्रेणी में होने लगी । इस अवस्था में उनके राष्ट्रविषयक विचारों को भी प्रतिगामी तथा दकियानूसी घोषित किया जाना स्वाभाविक ही था । श्री गुरुजी इस विचार से सहमत नहीं थे कि राष्ट्र के निर्माण, या पुनर्निर्माण या पुनः गठन (National-building) के लिए पश्चिम का अंधानुकरण तथा विवेक शून्य आधुनिकीकरण आवश्यक है । इस तरह का आधुनिकीकरण राष्ट्र के पुनः संगठन के लिए प्रतिकूल सिद्ध होगा, यह उनकी धारणा थी ।

यहां ध्यान में रखने योग्य एक तथ्य प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा । एशिया की जागृतिका नेतृत्व करने वाले नेताओं का कालानुक्रम से निम्न प्रकार क्रमांक मानने की प्रथा थी । राजा राममोहन राय, मेईजी मिक्कडो मुतसहितो (Meji Mikado Mutsuhito), सैय्यद जमालुद्दीन (ईरान), डॉ.

सनयात सेन (चीन) और मुस्तफा कमाल पाशा (तुर्कीस्तान) अफ्रीका में यह सम्माननीय स्थान श्री जगलूल पाशा का माना जाता है । ये सभी महापुरुष पश्चिम की भौतिक प्रगति का महत्व समझते थे, किन्तु तो भी उनके मन की जड़ें उनकी संस्कृति में गहराई तक उतरी हुई थीं ।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विश्व का नक्शा बदल गया किन्तु परिवर्तित जनमानस के प्रकाश में राष्ट्रीयता के प्रश्न का विचार तुरन्त नहीं हुआ । १४ अगस्त १९७० को फ्रांस के Cerisy-La-Salle में यूनेस्को के संयोजकत्व में राष्ट्रनिर्माण के प्रश्न पर विशेषज्ञों का जो परिसंवाद हुआ वह इस दिशा में किया गया पहला प्रयास था । इस परिसंवाद में कई देशों के विषय में विद्वत्तापूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किए गए । कुल मिलकर तृतीय विश्व के देश, पूर्व अफ्रीका, जापान द्वारा प्रभावित पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया, स्पेन तथा उसका साम्राज्य, दक्षिण लैटिन अमेरिका, नेदरलैंड्स तथा स्विटजरलैंड, बाल्कन्स तथा दक्षिणी स्लाव क्षेत्र, भारत, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप (सन् १५०० से) के विषय में प्रबंध पढ़े गए । उसके अलावा इस विषय पर भी चर्चा हुई कि राष्ट्र-निर्माण, राज्य-निर्माण के प्रश्न के अध्ययन की कार्यप्रणाली (Methodology) नई परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में किस तरह विकसित की जाए ।

उस समय तक विश्व मानस को दक्षिण अमेरिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी । इस परिसंवाद में यह क्षेत्र पहली बार चर्चा का विषय बना था । गैर पश्चिमी विद्वान माइकेलेना (Michelena) ने संदेह व्यक्त किया कि इस विषय के अध्ययन की उत्तर अमेरिका प्रणाली दक्षिण अमेरिका के तथ्य ढूँढने में कहां तक सफल रहेगी । ब्राजील में उपयोग में लाई गई अध्ययन प्रणाली का माइकेलेना ने विवरण दिया । एक अमेरिकन विद्वान जेरोम क्लब (Jerome Club) ने प्रतिपादन किया कि नवराष्ट्रों तथा उनकी राष्ट्रीयता का अध्ययन करते समय उसमें यूरोपियन जागतिक दृष्टिकोण थोपने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए । “पश्चिमीकरण ही अब जागतिक संस्कृति बन चुका है” गेब्रियल आमंड (Gabriel Almond) के इस दावे पर श्री डी. एल. शेठ ने प्रतिप्रश्न किया कि सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक यूरोपीय सभ्यता की जो संस्थात्मक उपलब्धियां रही उनको ही भविष्यकाल में सदा के लिए आदर्श मान कर चलना है, या वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को सृजनात्मक चिंतन कार्य करने के लिए अवसर देना है । मेंडेज (Mendes) ने कहा कि अब तक की विचार शैली के कारण नये राष्ट्र सदा के लिए गतिरूद्ध हो जाएंगे या यह विचार शैली नवराष्ट्रों की दृष्टि से असंगत (irrelevant) हो जाएगी । नव राष्ट्रनिर्माण के विषय में पश्चिमी नमूनों के प्रभाव में आने के कारण होने वाले दुष्परिणामों पर विचार-विशेषकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ राष्ट्र नेता, उभर कर आये, जैसे कॅस्ट्रो (क्यूबा), नासेर (अरब जगत), नेरेरे (कृष्ण अफ्रीका), माओ (चीन) और ओबोट (युगांडा) । इन सबकी छवि निर्माण का अन्वयार्थ भी बताया गया ।

ब्राजालियन विद्वान ज्यूलियन स्टूअर्ट (Julian Stuart) तथा युआन लिनज ने (Juan Linz) ने जो स्पेनिश तथा पुर्तगाली भाषाओं तथा वास्तविकताओं के ज्ञाता है, ब्हेनेजुएला के जे. ए. सिल्वा माइकेलेना (J.A. Silva Michelena) आइसनस्टाट (Eisenstadt) और ब्राजील के

कांडिडो मेंडेज (Condido Mendes) ने दक्षिण अमरिका के राष्ट्र तथा राज्यनिर्माण के विषय में मनोविश्लेषणात्मक विविध विचार प्रकट किए हैं । दक्षिण अमरिका में अधिकृत तथा मूलभूत संस्कृतियां क्या हैं ? मूलनिवासियों को यूरोपीय आगन्तुकों के साथ एकात्म करने में कहां तक सफलता मिली है ? प्रदेश-प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक अस्मिता और वहां की अधिकृत शासन संस्था का ठीक मेल बैठता है क्या ? पश्चिमी पद्धति में 'people, elite, common civic culture', 'Centre-periphery Theories', 'National bourgeoisie', 'Middle classes'. आदि संज्ञाएं प्रचलित हैं । इस सब बातों का अस्तित्व दक्षिणी अमेरिका में है क्या ? "आधुनिककरण" या "राजनीतिक विकास" का उपयोग दक्षिणी अमेरिका के देशों को विदेशावलम्बी बनाने में हुआ, यह आरोप सत्य है क्या ? पाई, रास्टोव (Pye, Rustow) की राष्ट्रीय अस्मिता की संकल्पना, सिल्वर्ट (Silvert) की सत्ता के बौद्धिकीकरण की कल्पना, कार्ल डेंश (Karl Dentsch) की सामाजिक अभिसरण की कल्पना, गेब्रियल आमंड (Gabriel Almond) तथा वर्बा (Verba) की राजनीतिक सहभाग की कल्पना, एस.एन. आइसनस्टाट (S.N. Eisenstadt) की राज्यकीय क्षमता के विकास की कल्पना और स्टीन रोकेन, बेंडिक्स, बेरिंगटन मूर (Stein Rokkan Bendix, Barrington Moore) की केन्द्र निर्माण तथा गठबंधन की कल्पना, ये सारी संकल्पनाएं विद्यमान दक्षिणी अमरिकी स्थिति में दूरान्वय से भी लागू होती है क्या ? यूरोप में निर्माण काल में जननिष्ठाओं का केन्द्र विचार धाराएं तथा संकल्पित समाज रचनाएं रही । दक्षिण अमरिका में जहां-जहां जननिष्ठा दिखाई देती है वहां-वहां निष्ठाओं का केन्द्र यूरोप के समान है या राजनीतिक दल और नेता ही केन्द्र बने हैं ? बहुत से विभागों में जननिष्ठाओं का अभाव ही है ।

भारत के रामकृष्ण मुकर्जी तथा युगांडा के यश टण्डन ने पश्चिमी परिकल्पनाओं की गैर पश्चिमी देशों से सुसंगति (Relevance) के विषय में प्रश्न उपस्थित किया ।

यूरोप में राष्ट्रों तथा राज्यों का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ वे परिस्थितियां तृतीय विश्व में चल रही राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के समय आज उपलब्ध नहीं है, इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया । यूरोपीय देशों के अनुभवों का उपयोग तृतीय विश्व के देशों के राष्ट्रनिर्माण में नहीं हो सकता, यह स्पष्ट किया गया ।

कुछ शुभ संयोग, जिनके सामूहिक प्रभाव से यूरोपीय भौतिक प्रगति का सुप्रभाव हुआ, यह थे—वायुयान युग से पूर्व के युग में समुद्री मार्गों के भौगोलिक, राजनीतिक महत्व में हुई नयी वृद्धि, प्रचुर कच्ची सामग्री और विपणन की संभावनाओं वाले देशों पर शासन करने वाली शक्तियों को अपने देशों के विकास कार्यों में तन्मयता, नौसैनिक शक्ति प्राप्त देशों के लिए साम्राज्य-निर्माण की परिस्थितियों का अनुकूल होना, उपनिवेशों के शोषण के आधार पर स्वदेशी अर्थव्यवस्थाओं का पोषण करने के व्यावहारिक अवसर उपलब्ध होना, यह सभी परिस्थितियां तृतीय विश्व के देशों के लिए फिर से उत्पन्न नहीं होगी ।

जैसे हेंस डाल्डर (Hans Daalder) ने स्पष्ट किया है कि यूरोप के विभिन्न देशों के इस विषय से संबंधित अनुभवों में भी विभिन्नता है। सबके अनुभव एक जैसे नहीं हैं, जैसे ही नवोदित राष्ट्रों के अनुभवों तथा लेटिन अमेरिकन और एशियाई देशों के अनुभवों में भी भिन्नता है। किन्तु राष्ट्रीयता प्राप्त करने की दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से, पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी देशों के ऐतिहासिक अनुभवों तथा वर्तमान संदर्भ में लाक्षणिक विरोध प्रकट होता है।

युगांडा के प्रतिनिधि ने कहा कि अफ्रीका में कार्यरत नवराष्ट्र निर्माताओं की दृष्टि से, यूरोपीय राष्ट्रनिर्माण का इतिहास तथा यूरोपीय संकल्पनाएं असंगत और अनुपयुक्त हैं। उनके सामने प्रमुख आह्वान है बहुगोत्रीय (Multi-tribal) समाजों में एकता का भाव कैसे निर्माण करना।

परिसंवाद में यह भी प्रश्न उपस्थित हुआ कि यूरोपीय तथा उत्तर अमेरिकन अनुभवों में से निकले हुए विचारों के सहारे तृतीय विश्व के देशों की वास्तविकताओं का आकलन करना संभव है क्या ?

पश्चिमी विचारक केन्द्र और परिधि (Centre and Periphery) की भाषा में विचार करते हैं। किन्तु केन्द्र की परिभाषा क्या है ? उदाहरणार्थ कनाडा में (इंग्लिश बनाम फ्रेंच) बेल्जियम में (बलून्स बनाम प्लेमिगस), स्पेन में (कॅस्टीलियन्स बनाम अन्य) और कई दक्षिण अमेरिकन देशों में ?

पश्चिमी विचारकों की परिभाषाओं, विश्लेषणों तथा भाष्यों में विश्व की सम्पूर्ण वास्तविकता का आकलन करने की क्षमता है क्या ? चर्चा में यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उभर कर आया।

उपरिनिर्दिष्ट बिन्दु परिसंवाद का वृत्त नहीं है, केवल झलक मात्र हैं; किन्तु उनमें विचार की दिशा का बोध होता है।

इस परिसंवाद के पश्चात् यूनेस्को के तत्वावधान में राष्ट्रनिर्माण विषय पर नवम्बर १९७१ में सिंगापुर में एशिया विभागीय परिसंवाद हुआ। संयोजक के नाते "दि सेन्टर फॉर दि स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज" दिल्ली ने काम किया। उसका वृत्त 'State and Nation Building a Third World perspective' में प्रकाशित किया गया। प्रथम (अगस्त १९७०) परिसंवाद का वृत्त 'Building states and Nations' में पाया जाता है।

इन संवादों की पृष्ठभूमि पर उनके एक संयोजक श्री रजनी कोठारी के इस संदर्भ में निकाले हुए निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ तथा अनुभव पर आधारित हैं।

वे कहते हैं कि राष्ट्र-राज्य निर्माण की अनिवार्य शर्त आधुनिकीकरण है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले पश्चिमी विचारक यह भूल जाते हैं कि यूरोप के कई बड़े भागों में राष्ट्रों का गठन तथा राज्यों का निर्माण तब हुआ जब यूरोप के विभिन्न समाजों का आधुनिकीकरण हुआ ही नहीं था।

श्री कोठारी लिखते हैं "The post 1945 era of nation building in diverse historical contexts, based on a common struggle for political autonomy and human dignity encompassing vast regions of the world, represents a turning point in human history"

इस निर्माण-पुननिर्माण के कालखंड में अश्वेत नवस्वतंत्र देशों के नेताओं पर पश्चिमी विचारकों के आधुनिकीकरण के मंत्र का बहुत प्रभाव रहा । इसका तृतीय विश्व के राष्ट्रचिंतन पर क्या असर पड़ा ? "The spell of the theory of modernisation has not permitted a realistic paradigm from emerging. To be sure, concepts like, 'nation building' and 'national integration' did emerge. But the thrust of these concepts was essentially mechanistic, the 'nation' in the new regions was conceived as some kind of a contrivance, something put together, something that may or may not hold together (hence the continuing talk of Balkanisation), It was not seen as an organic being, with historical and cultural roots, often going back to centuries. Something that has since been undermined by Europe's colonising mission."

इसके परिणाम स्वरूप राजनेताओं ने अपना ध्यान आर्थिक पुनर्रचना और इसके माध्यम से "परंपरायुक्त समाजों के आधुनिकीकरण" पर केन्द्रित किया और "Scant attention has been paid to the typical political problems and policy issues involved in the building of new states and nation, the question of national autonomy and the factors that promote or undermine it."

इस अर्थ प्रधान आधुनिकीकरण का परिणाम क्या होता है ? "Emphasis on economic development through the historicist model of industrial growth and urbanisation produces an elite (economic, bureaucratic, and technocratic) that is ultimately tied to the metropolitan areas of the world and treats the vast rural hinterlands in its own country as colonies that provide cheap food, raw materials, and supplies labour (and markets for inferior industrial products). It, no doubt produces impressive increases in the national GNPs. (and hence also in the aggregate 'per capita income) without really benefiting anyone except a very small fragment of the large humanity handdled in the 'country side'."

आधुनिकीकरण के फलस्वरूप, कुछ अपवादों की छोड़ दें तो तृतीय विश्व के प्रायः सभी देश सच्ची स्वतंत्रता तथा स्वायत्ता से वंचित हैं । विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा

पश्चिमी एशिया के बड़े क्षेत्रों के बहुत से नवस्वतंत्र देश इस श्रेणी में आते हैं । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् श्वेतवर्ण राजनेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दुनिया की नई रचना का एक लुभावना चित्र प्रस्तुत किया था । किन्तु आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप निर्माण हो रही नई जागतिक रचना का स्वरूप किस तरह का है ?

For a number of nation-states in the contemporary world the centre lies somewhere outside the nation in the real metropolises of the world. The typical case, in large parts of Africa and Latin America, and in parts of Asia, is one in which a tiny local elite, concentrated in the capital city of the country, pursues its interests in close alignment with a metropolitan centre outside the country. The operative model that emerges is one in which the centre, or super-centre is located in the territory of a dominant political power, the sub-centre in the national, with occasionally one or two additional sub-centres located in some other large sized cities, and, then through a few inconsequential gradations, all the rest is reduced to a vast periphery."

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण

"The result is an accent on 'Central authority' and an undermining of the economic, political and cultural aspirations of vast masses of the people who are condemned to live on the periphery. A variant of this with a widespread appeal is the accent on the divisiveness of underdeveloped countries, on the deep cleavages of religions, communal, or linguistic kind, on casteism and tribalism, and on the need to put this all down and create a 'national identity'.

आधुनिकीकरण को प्रगतिशीलता का मापदंड मानने वालों को श्री कोठारी कहते हैं— 'Rather, it is the current theory of modernisation that is empty, context free, deterministic in respect of policy choices, and subversive of the values of autonomy and freedom in decision making."

अपने विस्तृत अध्ययन का निष्कर्ष बताते हुए श्री कोठारी जी लिखते हैं:—

"It follows, therefore, that for realistic theory of state building, it is necessary to divorce it from the theory of modernisation, as conceived so far.

The chief casualty of the whole approach to modernisation... is state and nation-building itself.'

To repeat once more the recurring point of this paper the need is to extricate the theory of state and Nation building form the theory of modernisation."

श्री कोठारी द्वारा संपादित 'State and Nation Building A Third World Perspective' देशी-विदेशी विद्वानों के आलेखों का संकलन है। जोस ए. सिल्वा, माइकेलेना, जोजी वातानुकी, पाल टी.के. लिन. नायन, एन रामुथारिया सेली. सूमरजन, मुखर्जी, सेठ (Jose A Silva, Michelena, Joji watanuki, paul T K Lin, Nathan, N. S hamuyarira, Selo Soimardjan, Mukherji, Sheth) आदि विद्वानों का उसमें योगदान है। कुल मिलाकर सभी लेख एक आवश्यकता की ओर संकेत देते हैं जिसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है— "need to question the validity of those (i.e. western) paradigms and to find ways of moving towards a new paradigm."

किन्तु इस तरह, पाश्चिमात्यों का अंधानुकरण न करते हुए स्वतंत्र बुद्धि से वास्तविकता का अध्ययन करने वाले विचारकों को भारत के राजनीतिक तथा बौद्धिक क्षेत्र में आज प्रतिगामी कालबाह्य तथा दकियानूसी कहा जाता है। उन लोगों को भारतीय वास्तविकता से सही दर्शन करा देने की दृष्टि में श्री गुरुजी ने "राष्ट्र" संकल्पना का यह विवेचन किया था।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह विदेशों की बौद्धिक दासता स्वीकार करने वाले स्वयं को बुद्धिजीवी (Intellectual) कहते हैं, और उनका प्रतिपादन अपने निहित स्वार्थ के लिए पोषक रहेगा इस विश्वास के कारण राजनेता घोषित करते हैं कि देश की बुद्धिमत्ता के एकमात्र ठेकेदार ये ही बौद्धिक दास हैं।

यह सारी चर्चा किसी को भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इस सूक्ति का स्मरण दिलाएगा।

"परानुकरण अपने अस्थिपंजर पर दूसरे की त्वचा चढ़ाने के समान है, जिसमें त्वचा और अस्थियों के बीच निरन्तर कलह होता रहेगा।"

इसी संदर्भ में गुरुदेव ठाकुर अन्यत्र कहते हैं "भगवान ने हर एक देश के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्रिका दी है, इस कारण दूसरे किसी देश की उत्तर पत्रिका की नकल करके कोई देश भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता।"

### श्री गुरुजी का आग्रह

श्री गुरुजी सभी को "आत्मदीप" याने स्वतंत्रपन्न बनने का आग्रह करते थे। यह उनकी दृष्टि से उचित भी था। किन्तु यह संकलन पढ़ते समय यह जान लेना पाठकों के लिए उपयुक्त रहेगा कि इस विषय पर बोलने की दृष्टि से वे कहां तक अधिकारी पुरुष थे।

नवम्बर १९३९ में 'We or our Nationhood Defined' की पांडुलिपि पूरी हुई। उसके प्रकाशन के पश्चात् डाक्टर हेडगेवार जी की यह इच्छा थी कि तत्कालीन मध्यप्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र नागपुर का "महाराष्ट्र" उसकी समीक्षा करे। "महाराष्ट्र" में यह कार्य श्री गजानन त्रयम्बक मांडखोलकर को करना था। श्री मांडखोलकर एक ख्यातनाम पत्रकार तथा साहित्यिक

थे । वे संघ के विचारों से सहमत नहीं थे । वे वामपंथी तो नहीं थे, किन्तु वामपंथी विचारों को प्रगतिशील मानने वालों में थे ।

दो महीने के बाद भी समीक्षा प्रकाशित नहीं हुई तो डॉक्टरजी ने मांडखोलकरजी को स्मरण दिलाया । मांडखोलकर ने कहा 'पुस्तक में प्रतिपादित विषय के संबंध में मेरे मन में कई प्रश्न और संदेह हैं । स्वयं लेखक महोदय के साथ खुली चर्चा करने का अवसर मिलता तो अच्छा होता ।'

पूजनीय डाक्टरजी ने अपने निवास स्थान पर दोनों को साथ-साथ बिठाया । इस प्रसंग का वर्णन पूजनीय गुरुजी के महानिर्वाण के पश्चात् नागपूर "तरूण भारत" में स्वयं मांडखोलकर ने विस्तृत ढंग से किया है ।

इस संदर्भ में दो उल्लेखनीय बातों का पता चलता है— "हिन्दू राष्ट्र" संकल्पना के विषय में मांडखोलकर जी ने श्रीगुरुजी से तरह-तरह के प्रश्न-प्रतिप्रश्न किये और अंत में डाक्टरजी को बताया कि 'इस विषय से संबंधित मेरे सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिले हैं और मेरी शंकाओं का समाधान हो गया है ।'

दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण है । इस पूरे प्रसंग से मांडखोलकर जी के यह ध्यान में आया कि "हिन्दूराष्ट्र" की संकल्पना के विषय में पूजनीय डाक्टर साहब भी पूजनीय गुरुजी को अधिकारी पुरुष मानते हैं ।

पाठकों की दृष्टि से यह दूसरी बात महत्वपूर्ण है ।

"आत्मदीप" बनकर सत्यान्वेषण की साधना में रत साधकों की भी कुछ अनुभूतियां हैं ।

भगवान बुद्ध के शब्दों में श्री गुरुजी का मार्गदर्शन है 'अप्प दीपो भव'

दशमेश श्री गुरुगोविन्द सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथसाहब को "आत्मदीप" माना ।

तमिलनाडु के श्रद्धालु मानते हैं कि श्री तिरूकुरल तिरूवल्लुवर की वाङ्मय मूर्ति है ।

श्री समर्थ रामदास ने कहा है कि "मेरे महाप्रयाण के पश्चात् यदि कोई मेरा दर्शन करने के लिए आतुर हो तो वह मेरे "दासबोध" का दर्शन करे । "दासबोध" का दर्शन अर्थात् मेरा दर्शन ।"

शायद सभी महापुरुषों का अपनी कृतियों के साथ इसी तरह का अविभाज्य संबंध हुआ करता है ।

जिन पाठकों को श्री गुरुजी का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इस संकलन का महत्व उनकी दृष्टि से दूसरे प्रकार का है । ●

— दत्त देगडी

## १. हमारी मातृभूमि

यह है हमारी पवित्र भूमि भारत, देवताओं ने जिसकी महत्ता के गीत गाये हैं —

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात् ॥

(अर्थात् हम देवताओं में भी वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्ग के लिए साधनभूत भारतभूमि में उत्पन्न हुए हैं)

- यह भूमि जिसे महायोगी अरविन्द ने विश्व की दिव्य जननी के रूप में जीवन्त आविष्कीकरण कर प्रत्यक्ष दर्शन किया—जगन्माता ! आदिशक्ति ! महामाया ! महादुर्गा ! और जिसने मूर्तरूप साकार होकर उसके दर्शन-पूजन का हमें अवसर प्रदान किया है ।
- यह भूमि, जिसकी स्तुति हमारे दार्शनिक कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “देवि भुवन मनमोहिनी” ..... “नीलसिन्धु जल धौत चरण तल” कह कर की है ।
- यह भूमि, जिसका वन्दन स्वतंत्रता के उद्घोषक कवि बंकिमचन्द्र ने अपने अमर गीत “वन्देमातरम्” में किया है, जिसने सहस्रों युवा हृदयों को स्फूर्त कर स्वतन्त्रता के हेतु आनन्दपूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ने की प्रेरणा दी —

त्वै हि दुर्गा दशप्रहरण धारिणी

- यह भूमि, जिसकी पूजा हमारे सभी सन्त-महात्माओं ने मातृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि एवं पुण्यभूमि के रूप में की है, और यही वास्तव में देव-भूमि और मोक्षभूमि है ।
- यह भूमि, जो अनन्त काल से हमारी प्यारी पावन भारतमाता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदयों को शुद्ध, सात्विक भक्ति की लहरों से आपूर्ण कर देता है । अहो! यही तो हम सबकी मां है—हमारी तेजस्विनी मातृभूमि ।

### मातृभूमि-पुरातन भावना

वास्तव में “भारत”— नाम ही निर्देश करता है कि यह हमारी मां है । हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार किसी महिला को पुकारने की सम्मानपूर्ण रीति यह है कि उसे उसके पुत्र के नाम से पुकारा जाए । किसी महिला को अमुक की पत्नी अथवा अमुक की “मिसेज” कह कर पुकारना पाश्चात्य रीति है । हम कहा करते हैं “वह रामू की मां है” । यही बात हमारी मातृभूमि भारत के नाम के विषय में भी लागू होती है । भरत हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं—जिनका जन्म बहुत काल पूर्व हुआ था । वह उदार, श्रेष्ठगुण-सम्पन्न और विजयिस्यु राजा एवं हिन्दू पुरुषार्थ के भासमान आदर्श थे । जब किसी स्त्री के एक से अधिक पुत्र होते हैं तब हम उसे उसकी ज्येष्ठ संतान के नाम से अथवा सबसे अधिक ख्याति प्राप्त संतान के नाम से पुकारते हैं । भरत ख्याति प्राप्त थे और यह भूमि उनकी माता कही गई भारत, अर्थात् सभी हिन्दुओं की माता ।

किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दुओं को मातृभूमि की कल्पना का ज्ञान नहीं था । वे परस्पर युद्ध-रत विभिन्न कबीलों में विभाजित थे । एक मातृभूमि के लिए भक्ति की, देशप्रेम की भावना से वे अपरिचित थे । उनमें कुछ सीमा तक यह भावना थी भी तो एक विशिष्ट भूखंड मात्र के लिए ही, वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, सम्पूर्ण देश के लिए जैसा कि वह आज हमें प्राप्त है, नहीं थी । आज के प्रमुख व्यक्ति भी समय-समय पर घोषणा करते रहे हैं कि यह हमारा एक महाद्वीप अथवा उपमहाद्वीप है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु और विभिन्न प्रकार की भूमि है । यह राष्ट्रों का झुण्ड है और एक देश कहलाने योग्य नहीं है । ये विचित्र विश्वास हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क में किस प्रकार फैल गए ?

कुटिल, विदेशी अंग्रेज ने अपने अन्तरस्थ साम्राज्यवादी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हमारी जनता में इस प्रकार के सभी दुष्ट विश्वास प्रचारित किए, जिससे कि देशभक्ति की भावना एवं अपनी मातृ-भू के समग्र व्यक्तित्व के प्रति कर्तव्य की भावना का हास हुआ । उसने प्रच्छन्न रूप से कुटिलतापूर्वक यह प्रचार किया कि हम कभी एक राष्ट्र नहीं थे । हम कभी इस भूमि की संतान नहीं थे । अपितु हम हैं नवोदित राष्ट्र, जिनका इस देश पर आक्रान्ताओं के झुण्डों में आने वाले मुसलमान और अंग्रेजों से अधिक अधिकार नहीं है । दुर्भाग्य यह है कि इस देश का तथाकथित शिक्षित जन इस चाल में फंस गया ।

किन्तु वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम ने जब कच्चे मांस के स्थान पर भुना मांस खाना सीखा था, उससे बहुत पूर्व हम एक राष्ट्र थे और थी हमारी एक मातृभूमि तथा समुद्रपर्यन्त भूमि में परिव्याप्त था एक राष्ट्र ।

### पृथिव्यायै समुद्रपर्यन्तायाः एकराष्ट्र

हमारे वेदों का यह एक प्रिय उद्घोष है, युगों से हमारे सामने एक स्पष्ट स्वरूप रहा है— “आसेतु हिमालय” । हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व कहा है:—

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥

(पृथ्वी का वह भू-भाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहलाता है तथा उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं ।)

### महान हिमालय

सम्पूर्ण हिमालय, अपनी उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में फैली हुई शाखा-प्रशाखाओं के साथ तथा इन महती शाखाओं के अन्तर्गत प्रदेशों के साथ हमारा रहा है, उसका केवल दक्षिणांचल ही नहीं । धार्मिक एवं अन्य भावुकताओं को छोड़कर यह एक शुद्ध, व्यावहारिक सामान्य बुद्धि की बात है कि कोई भी शक्तिशाली और बुद्धिमान राष्ट्र पर्वतों की चोटियों को अपनी सीमा नहीं बनायेगा । यह तो उसके लिए आत्मघाती होगा । हमारे पूर्वजों ने हिमालय के उत्तरांचल में हमारी तीर्थयात्राओं के लिए अनेक स्थानों की स्थापना कर उन भू-भागों को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था । तिब्बत या त्रिविष्टप, जिसे आज हमारे नेता चीन का तिब्बतीय प्रदेश कहते हैं, देवताओं का स्थान था और कैलास पर तो परमेश्वर का निवास ही है । तीर्थयात्रा के लिए मानसरोवर एक अन्य पवित्र स्थान था जो हमारी गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों का उद्गम माना जाता है ।

हमारे महान् राष्ट्रकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन किया है —

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।

पूर्वापरोतोय निधीवगाह्य स्थितः पृथिव्याः इव मानदण्डः ॥

(उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसकी भुजाएं पूर्व और पश्चिम में समुद्रपर्यन्त फैली हुई और जो पृथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित है) ।

हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका वचन आप्त प्रमाण है, उन चाणक्य का वक्तव्य है:—

हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस्रत्रपरिमाणम्

(उत्तर में समुद्र से हिमालय पर्यन्त इस देश की लम्बाई एक सहस्रत्र योजन है)

इसका यही अर्थ हुआ कि कवि कालिदास का वर्णन राजनीति-विशारद चाणक्य के वक्तव्य के अनुरूप है और हमारे लिए अपनी मातृभूमि की विशालता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है ।

### महानचित्र

हमारे महाकाव्य तथा पुराण भी हमारी मातृभूमि की वैसी ही विशाल मूर्ति उपस्थित करते हैं । अफगानिस्तान हमारा प्राचीन उपगण स्थान था । महाभारत का शल्य वहीं का था । वर्तमान

काबुल और कंदहार, गांधार थे । कौरवों की माता गान्धारी वहीं की थी । ईरान तक मूलतः आर्यभूमि ही है । उसका अन्तिम राजा राजा शाह पहलवी इस्लाम से अधिक आर्य सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला था । पारसियों का पवित्र ग्रंथ "जेन्दा वेस्ता" बहुत कुछ ऋग्वेद है । पूर्व दिशा में ब्रह्मा हमारा ब्रह्म देश है । महाभारत में इरावत का उल्लेख आया है । वर्तमान इरावती घाटी का उस महायुद्ध से संबंध था । महाभारत में असम का उल्लेख प्रागज्योतिष के नाम से हुआ है । कारण कि सूर्य का प्रथमोदय वहीं होता है । दक्षिण में श्री लंका भी निकटतम सूत्र में आबद्ध है, उसे कभी भी मुख्य भूमि से भिन्न नहीं माना गया ।

यह था चित्र हमारी मातृभूमि का, जो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में आर्यान (ईरान) तथा पूर्व में श्रृंगपुर (सिंगापुर) की ओर दो समुद्रों में अपनी दोनों भुजाओं को अवगाहित कर रहा है और साथ ही दक्षिण में महासागर उसके पवित्र चरणों में कमल की पंखुड़ी के समान श्री लंका (सीलोन) को भेंट—रूप में अर्पित कर रहा है । मातृभूमि का यह चित्र सहस्रों वर्ष से सतत हमारे जनमानस में देदीप्यमान है । आज भी स्नान करते हुए हिन्दू प्रतिदिन गंगा, यमुना से लेकर गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा और सिन्धु से कावेरी तक पवित्र नदियों का आह्वान करता है —

गंगे च यमुने चैव, गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिरि कुरू ॥

(हे गंगा-यमुना, गोदावरी, सरस्वती-नर्मदा-सिन्धु तथा कावेरी ! तुम्हारा जल हमारे, इस स्नान के जल में सम्मिलित हो ।)

यह भी भक्ति का एक पाठ है, क्योंकि इसके द्वारा हमें यह अनुभूति कराई जाती है कि इन पवित्र नदियों के एक बूंद जल में भी हमारे समस्त पापों को धो डालने की शक्ति है ।

हमारी जाति के एक महानतम व्यक्ति श्री रामचन्द्रजी थे, जिन्होंने इस जाति के चरित्र एवं संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है । उनके महान् गुण-यथा-निराकुलता, उदारचित्तता, ज्ञान, गाम्भीर्य एवं अनुभूतियों की तुलना, समुद्र की अपरिमेय गहराई तथा शान्तता से और उनकी अदम्य शक्ति एवं धैर्य की तुलना महान् और अजेय हिमालय से की गई है—

समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव

(श्रीराम समुद्र की तरह गंभीर हैं और हिमालय की तरह धैर्यवान हैं)

क्या हमें ज्ञात नहीं कि हमारी मातृभूमि एक ओर हिमालय से और शेष तीन ओर समुद्र से परिवेष्टित है ? इस प्रकार राम के आदर्श व्यक्तित्व में हमारी मातृभूमि को उसकी सम्पूर्णता में दृष्टिगत कराया गया है । अनेक प्रकार से हमारी इस समग्र अखण्ड मातृभूमि को पूजनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसके खंडित होने का कोई भी विचार हमारे लिए असह्य है ।

## इष्टभूमि

हमारे लिए यह सम्पूर्ण भूमि तपोभूमि है। प्राचीन साहित्य में एक उद्बोधक प्रसंग आया है। एक बार एक प्रश्न किया गया कि योग्य फल की प्राप्ति के हेतु तप और यज्ञ करने के लिए कौन सा देश शुद्ध एवं पवित्र है और चरम सत्य की अनुभूति के लिए आदर्श स्थान कौन-सा है? उत्तर दिया गया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वही स्थान उपयुक्त है, जहां कृष्णसार हिरन मिलते हैं। पशु-विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी आपको बता सकता है कि विशिष्ट प्रकार का यह हिरन संसार में और कहीं भी नहीं, केवल हमारे ही देश में मिलता है। इससे क्या प्रकट होता है? हमारे पूर्वजों का विश्वास था कि सम्पूर्ण संसार में यही एक ऐसा पवित्रतम देश है, जहां छोटा सा सत्कर्म भी सैंकड़ों हजारों गुना अधिक फलदायी होता है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि “यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी भूमि है, जिसे मंगलदायिनी पुण्यभूमि कहा जा सकता है, जहां ईश्वर की ओर अग्रसर होने वाली प्रत्येक आत्मा को अपना अन्तिम आश्रयस्थल प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ता है, तो वह भारत है।”

निःसंशय रूप से ईश्वरानुभूति के हेतु निर्धारित यही देश है। यह भावनाओं का उद्रेक मात्र नहीं वरन् हमारा अटल विश्वास है। कुछ वर्षों पूर्व हमारे समाचार पत्रों ने एक जर्मन की गाथा प्रकाशित की थी जो आध्यात्मिक अभिलाषी के रूप में हमारे देश में आया था। उसने संन्यासग्रहण किया और एक परिव्राजक की भांति उग्र तपस्या की। किन्तु बहुत काल की तपस्या के बाद भी वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सका। आत्मनिरीक्षण के द्वारा उसे विश्वास हुआ कि उसका शरीर जो पश्चिम की तमोगुणी जलवायु में उत्पन्न और पोषित हुआ है, ईश्वरानुभूति के लिए अनुपयुक्त है। अतः वह हरिद्वार गया और अपने शरीर को पवित्र गंगा को अर्पण कर दिया। वह एक छोटा सा पत्र छोड़ गया—“मैं स्वयं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। गंगा के पावन जल में अपने शरीर को अर्पित करने से उस मंगलमय की कृपा से मुझे भारत में पुनर्जन्म का सौभाग्य प्राप्त हो और उस नवीन निर्मल शरीर से मैं ईश्वर का साक्षात् करने योग्य हो जाऊँ।”

यदि हम संसार के अन्य विविध पंथों और सम्प्रदायों के संस्थापकों के जीवन-चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो भी हम अपनी मातृभूमि के इस विशिष्ट स्वरूप के विषय में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। महान् संत ईसा के संबंध में भी ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने वास्तविक रूप से ईश्वर के दर्शन किए। उन्हें केवल देवदूत ही मिले तथा एक बार शैतान। जब उन्हें क्रॉस पर टांगा गया तब तो उन्हें कुछ काल के लिए ईश्वर की दया के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन्हें अतीव वेदना हुई। उनके यह उद्गार निकल पड़े “हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?”

इस्लाम का संस्थापक भी महान् और शक्ति सम्पन्न व्यक्ति था। वह उन असभ्य लोगों को प्रेरणा दे सका जो भेद, विरोध एवं पक्ष-प्रतिपक्ष के कलह के कारण छिन्न-विच्छिन्न थे। उसने मानव-मूल्यों के बोध के साथ उनमें प्रगति की आकांक्षा को जागृत किया तथा साम्राज्य निर्माण

करने की शक्ति का उनमें संघटन किया । किन्तु वह भी केवल जेभ्राइल से मिला और कुछ दिव्य ध्वनियों को श्रवण किया, बस । उन्होंने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किये ।

यह वरदान तो केवल इसी भूमि की संतानों के लिए है कि वे ईश्वर का उसकी सम्पूर्ण आभा के साथ साक्षात्कार तथा अनुभव करें । एक समय था कि जब अन्य जातियां पर्वत, कन्दराओं और वनों के बाहर नहीं निकल पाई थीं तब वैदिक ऋषियों ने मानव को अमृत-पुत्र के नाम से सम्बोधित किया था—

श्रृण्वंतु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आइ दिव्या धामनितत्स्थु ।

और धीर गंभीर वाणी में उद्घोष किया—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात ।

तमेव विदित्साऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

(मैं उस महिमावान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के वर्ण का है और अंधकार से परे है । उसको जानने के बाद जन्म-मृत्यु का बन्धन नहीं रह जाता । मोक्ष की प्राप्ति का अन्य रास्ता नहीं है ।

कितना स्पष्ट और संशय से रहित भाव है इन शब्दों में !

परम आत्मविश्वास एवं आत्मानुभूति की उपर्युक्त अभिव्यक्तियों के समकक्ष विश्व-वाङ्मय में ऐसी अन्य कोई अभिव्यक्ति नहीं है । फिर आपको उस श्री कृष्ण के समकक्ष दूसरा विश्व में कहां मिलेगा जो मानवता के लिए आत्मजागरण के अमर संदेश—श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं को उत्तम पुरुष “मैं” में ही परमेश्वर घोषित करते हैं ।

### अविच्छिन्न जीवन्तपरम्परा

हमारे देश का यह अनोखा स्वरूप प्राचीन परम्परा तक ही सीमित नहीं है । अधुनातन काल में भी नरेन्द्र (स्वामी विवेकानंद) का श्रीरामकृष्ण से ऐतिहासिक मिलन का उदाहरण है । उन्होंने युवावस्था में ही, जब वह कालेज के विद्यार्थी थे, पौरात्य एवं पाश्चात्य दर्शनों में अवगाहन किया था, किन्तु उनकी जिज्ञासु आत्मा सन्तुष्ट नहीं हुई । वे अपने समय के अनेक विद्वानों और पुण्य पुरुषों से मिले । वे भी उनकी आत्मा की पिपासा को शान्त नहीं कर सके । उन्हें ज्ञात हुआ कि दक्षिणेश्वर मन्दिर में एक परमहंस रहते हैं । वे उनके पास गए और जो प्रश्न वर्षों से उनके मस्तिष्क में मंडरा रहा था उसे सीधे शब्दों में उनके समक्ष रख दिया “महाशय, आपने ईश्वर को देखा है ?”

एक क्षण के भी संकोच के बिना श्री रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया—“हां, मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ जैसे यहां तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं उसे तुम्हें भी दिखा सकता हूँ ।” साथ ही श्री रामकृष्ण ने नरेन्द्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण भी की ।

जैसा कि हमें ज्ञात है, नरेन्द्र एक अति उच्च मेधा एवं प्रचण्ड इच्छाशक्ति सम्पन्न युवक

थे । वे इस प्रकार के नहीं थे जिन्हें सम्मोहन द्वारा किन्हीं बातों पर अन्धविश्वास करा दिया जाए । किन्तु उन्हें जब साक्षात् परमात्मा के सम्मुख खड़ा कर दिया गया तो वह ईश्वर की सत्यता में विश्वास किए बिना नहीं रह सके । इस प्रकार की है ईश्वर-भक्तों की हमारी जीवन्त परम्परा, जिसने हमारे देश का नाम ईश्वरानुभूति की भूमि, धर्म-भूमि एवं मोक्ष-भूमि के रूप में सतत उन्नत रखा है ।

कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा देश, जिसकी धूलि का एक-एक कण दिव्यता से ओतप्रोत है, हमारे लिए पावनतम है, हमारी पूर्ण श्रद्धा का केन्द्र है, और यह श्रद्धा की अनुभूति सम्पूर्ण देश के लिए है, उसके किसी एक भाग मात्र के लिए नहीं । शिव का भक्त काशी से रामेश्वरम् जाता है और विष्णु के विभिन्न आकारों एवं अवतारों का भक्त, इस सम्पूर्ण देश की चतुर्दिक यात्रा करता है । यदि वह अद्वैतवादी है तो प्रहरी के समान देश की चारों सीमाओं पर खड़े जगद्गुरु शंकराचार्य के चारों आश्रम उसे चारों दिशाओं में ले जाते हैं । यदि वह शाक्त है—उस शक्ति का पुजारी जो विश्व की दिव्य मां है—तो उसकी तीर्थयात्रा के लिए बावन स्थान हैं, जो बलूचिस्तान में हिंगुलाज से असम में कामाक्षी पर्यन्त और कश्मीर में वैष्णदेवी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं । इसका यही अर्थ है कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एवं व्यक्त स्वरूप है ।

## दिव्य माता

हमारे लिए इस भूमि से पवित्रतर और कुछ नहीं हो सकता । इस भूमि की धूलि का एक-एक कण, जड़ और चेतन प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक काष्ठ और प्रस्तर, प्रत्येक वृक्ष एवं नदी हमारे लिए पवित्र है । इस भूमि के बच्चे के हृदय में यह प्रगाढ़ भक्ति सदैव जीवित रखने के हेतु ही पूर्व काल में यहां इतने विधि-विधानों एवं लोकाचारों की स्थापना हुई थी । नित्य होने वाली विविध धार्मिक क्रियाओं में विशिष्ट स्थान के उल्लेख के साथ भारतवर्ष की समग्र विशालता का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है :

जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरत खण्डे.....

हमारे सभी महत्व के धार्मिक संस्कार भूमि-पूजन से आरंभ होते हैं । यह एक प्रथा है कि प्रातः काल में जैसे ही हिन्दू निद्रा को त्यागता है, सर्वप्रथम वह पृथ्वी माता से इस बात के लिए क्षमा याचना करता है कि दिन भर वह उसे अपने पैरों से स्पर्श करने के लिए विवश है ।

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ।

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्षक्षमस्व मे ॥

(देवि ! समुद्र तुम्हारा परिधान है, पर्वत स्तन मण्डल हैं, जिनका वात्सल्य रस नदियों में प्रवाहित हो रहा है । हे विष्णु-पत्नी । मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । मेरे पैरों के स्पर्श होने की धृष्टता क्षमा करना ।)

यह एक साधारण कार्य है; किन्तु इस के द्वारा प्रत्येक प्रातःकाल हमारे मस्तिष्क में इस माता की भक्ति का विचार आता है, जो दिव्य मां आदिशक्ति की अति उदात्त भक्ति का ही भाव है। यह प्रशिक्षण इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि सामान्य दैनिक कार्यों में भी हमें इस अनुभूति की झलक मिल जाती है। जब कोई बच्चा खेल-खेल में भूमि को रौंदता है तो माता कहती है “पुत्र, धरती माता को ठोकर मत मारो।” अथवा यदि स्वभावानुसार वह पृथ्वी को नाखून से कुरेदता है तो वह कहती है : “प्यारे बच्चे, यह मत करो। पृथ्वी मां को कष्ट होता होगा।” एक साधारण किसान भी जब खेत में हल जोतता है तो पहले क्षमा याचना कर लेता है। ऐसी है हमारी जीवन्त-परम्परा।

हमारा देश हमारे लिए कभी निर्जीव अचेतन पदार्थ नहीं रहा, वरन् सदैव समानभाव से अपने बच्चों के लिए सजीव दिव्य मां के रूप में रहा है, चाहे वे बच्चे तथाकथित निम्नतम वर्ग के हो अथवा उच्चतम वर्ग के।

स्वामी विवेकानंद जी जब इंगलैंड से भारत के लिए चलने लगे तो उनसे पूछा गया कि इंगलैंड और अमेरिका के समान समृद्ध देशों की यात्रा करने के पश्चात् अब अपनी मातृभूमि के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं? उन्होंने कहा “भारत से मैं पहले प्यार करता था, किन्तु अब तो उसकी धूलि का एक-एक कण मेरे लिए अत्यन्त पवित्र है, मेरे लिए वह तीर्थस्थान हो गया है।”

और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने तो एक व्यक्ति की एक बार इसलिए कठोरतापूर्वक भर्त्सना की थी कि वह शौच के पश्चात् गंगा जी में प्रक्षालनार्थ जा रहा था। उन्होंने कहा था — “दिव्य जल को अपने मल से अपवित्र करना तुम्हारे लिए कितना अनुचित है। गंगा वारि ब्रह्म वारि है।”

इस प्रकार की रही है हमारी भूमि के दिव्य मातृत्व की सजीव अनुभूति, जो उसके महान् पुत्रों के स्वभाव का एक अंग बन गई है और हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में परिव्याप्त है।

वास्तव में वह सदैव हमारे राष्ट्र-जीवन की मध्यवर्ती कल्पना रही है। उसने अपनी मिट्टी, हवा, जल तथा अन्यान्य विविध पदार्थों से, जो सुख और पोषण के लिए हैं, मां जैसा हमारा पोषण किया है। उत्तर में अलंघ्य हिमालय के रूप में उसने पिता के समान हमें संरक्षित किया है और देश के विभिन्न हिस्सों में फैली अरावली, विन्ध्य, सह्याद्रि आदि गिरिश्रृंखलाओं ने भूतकाल में स्वतंत्रता के शूर-सेनानियों को रहने के लिए जगह और बचने के लिए व्यवस्था दी है तथा धर्म-भूमि एवं मोक्ष-भूमि के रूप में उसने हमारे आध्यात्मिक गुरु का स्थान लिया है।

अस्तु, हमारी मातृभूमि ने, एक रूप में ही माता, पिता एवं गुरु तीनों का कर्तव्य हमारे प्रति पूर्ण किया है। ●

(विचार नवनीत, पृष्ठ ७७ से ८६)

